[2019] 12 एस. सी. आर. 293

सामान्य प्रबंधक, विद्युत रंगाली हाइड्रो

विद्युत परियोजना, ओडिशा और अन्य

वी.

श्री गिरिधारी साहू और अन्य

(2010 की सिविल अपील सं. 8071)

12 सितंबर, 2019

[संजय किशन कौल और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947:

एस. 33 ए आर/डब्ल्यू। एस. 33 - आवेदन-एन. एम. आर. कर्मचारियों/अपीलार्थी के कर्मचारियों द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि उन्हें निर्वहन से रोका गया था

धोखाधड़ी से और अनुचित प्रभाव लागू करके उनके कर्तव्यों को प्राप्त करना

स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वी. एस. एस.) के दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर।

- श्रम न्यायालय ने उनकी बहाली का निर्देश देते हुए कहा कि वीएसएस

उन पर दबाव डाला गया-उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका खारिज कर दी गई इस आधार पर कि पारित करने में कोई अधिकार क्षेत्र की त्रुटि नहीं थी

पुरस्कार-उच्चतम न्यायालय में अपील अपील-आयोजितः धोखाधड़ी और अनुचित प्रभाव के संबंध में पर्याप्त अभिवचन नहीं हैं-श्रमिक

नियोक्ता ने पर्याप्त उत्पादन किया है दस्तावेजी साक्षय यह दिखाने के लिए कि श्रमिकों ने स्वेच्छा से चुना

वी. एस. एस. के लिए-इस प्रकार एस. को लागू करने के लिए श्रम न्यायालय के समक्ष कोई मामला नहीं बनाया गया था। 33 ए आर/डब्ल्यू। एस. 33 .

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: आदेश VI आर। 4 - अभिवचन के नियम-के लिए लागू

कार्यवाही यू/एस। 33 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का ए-आयोजितः द. कार्यवाही यू/एस। 33 दीवानी मुकदमा नहीं होने के कारण सी. पी. सी. के प्रावधान लागू नहीं होंगे, हालांकि, उसमें हितकारी सिद्धांत निहित थे।

आवेदन करेंगे।

लिखें:

सर्टिओरारी का लेखन-प्रकृति और दायरा-आयोजित: अधिकारिता प्रमाणपत्र की रिट जारी करना पर्यवेक्षी है न कि अपीलीय - अधिकार क्षेत्र की ज्यादतियों को ठीक करने का इरादा-एक गलत निर्णय

[2019] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी ऐसे मामले के संबंध में जो न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है एक रिट आवेदक को सर्टिओरारी के रिट के लिए हकदार नहीं बनाएगा-यह तब जारी किया जा सकता है जब एक क्षेत्राधिकार त्रुटि स्पष्ट रूप से स्थापित हो।

एक त्रुटि

कानून जो न्यायिक जांच के लिए असुरक्षित हो जाता है सर्टिओरारी ऐसा होना चाहिए जो अभिलेख के सामने स्पष्ट हो।

शब्द और वाक्यांश:

' धोखाधड़ी ',' गलत निरूपण 'और' अनुचित प्रभाव '

का अर्थ है।

' धोखाधड़ी 'और' गलत निरूपण '-के बीच अंतर

-

चर्चा की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 किसी मामले के संबंध में गलत निर्णय

जो न्यायाधिकरण के अधिकार के भीतर आता है, वह एक रिट आवेदक को प्रमाण पत्र के रिट के लिए हकदार नहीं बनाएगा। हालाँकि, यदि निर्णय योग्यता के लिए किसी भी संपार्श्विक से संबंधित है, तो एक गलत निर्णय जिस पर, इसके अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करेगा, तो सर्टिओरारी का एक रिट होगा। झूठ बोलते हैं। [पैरा 21] [308-ई]

1.2 प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार क्षेत्र पर्यवेक्षी है।

और अपीलीय नहीं। सर्टिओरारी के रिट आवेदन पर विचार करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय की सीमा नहीं लेगा। यह सबूतों की फिर से सराहना नहीं करेगा। सर्टिओरारी के लेखन का उद्देश्य है

न्यायक्षेत्र संबंधी ज्यादतियों को सही करें। निषेध का एक रिट तब जारी किया जाएगा जब एक न्यायाधिकरण या प्राधिकरण ने अभी तक अपनी कार्यवाही समाप्त नहीं की है। एक बार जब कोई निर्णय सर्टिओरारी के लिए उत्तरदायी निकाय द्वारा दिया जाता है

क्षेत्राधिकार, सर्टिओरारी तब जारी किया जा सकता है जब एक क्षेत्राधिकार त्रुटि स्पष्ट रूप से स्थापित हो। [पैरा 29] [325-बी-सी]

1.3 न्यायक्षेत्र संबंधी त्रुटि अवलोकन करने में विफलता से हो सकती है।

इसकी अधिकारिता की सीमाएँ। यह वैध रूप से अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के बाद निकाय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकता है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकता है। जिस निकाय का निर्णय हमले के दायरे में आता है, वह एक संपार्श्विक तथ्य तय कर सकता है जो एक अधिकार क्षेत्र का तथ्य भी है और अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है। तथ्य की ऐसी खोज प्रमाण पत्र द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से अछूती नहीं है। जहाँ तक तथ्य का निष्कर्ष, जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, यह आम तौर पर जी. एम., विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरीसा वी. श्री गिरिधारी साहू के लिए सीमा से बाहर का मामला है।

सर्टिओरारी के माध्यम से न्यायिक जांच के लिए असुरक्षित भी होना चाहिए जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है। [पैरा 29] [325-डी-एफ] 1.4 अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि क्या है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर अदालत द्वारा तय किया जाने वाला मामला है। तथ्य का एक निष्कर्ष जो किसी भी साक्षय द्वारा समर्थित नहीं है, विकृत होगा और वास्तव में कानून की त्रुटि का गठन करेगा।

रिट न्यायालय को हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाना। यदि साक्षय का भारी भार निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है, तो यह निर्णय को सर्टिओरारी अधिकार क्षेत्र के लिए संशोधन योग्य बना देगा। यह एक ऐसे निष्कर्ष के समान होगा जो साक्षय द्वारा पूरी तरह से अनुचित है। [पैरा 29] [325-एफ-एच] 1.5 रिट ऑफ सर्टिओरारी के मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय यह भी ध्यान में रखता है कि यह स्वयंसिद्ध नहीं है, या यह कि एक निष्कर्ष पर

अवैधता के मामले में, एक अदालत हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है। अदालत तब भी अपने विवेक का प्रयोग कर सकती है और अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार कर सकती है जब तक कि स्पष्ट अन्याय न हो। अपीलकर्ताओं ने स्पष्ट अन्याय का मामला बनाया है यदि पुरस्कार को खड़ा होने दिया जाता है। एक सार्वजनिक क्षेत्र के निगम द्वारा अपने कार्यबल को कम करने के लिए बड़ी राशि खर्च की गई थी। योजना की शर्तों को स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए, इसके तहत लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिक अलग हो गए। पुरस्कार को लागू करने का मतलब श्रमिकों की बहाली होगी और वह भी 70 प्रतिशत वेतन के साथ, जब इसके लिए कोई वारंट नहीं था। [पैरा 85] [341-ई-जी]

सैयद याकूब बनाम। के. एस. राधाकृष्णन और एक अन्य आकाशवाणी

1964 एससी 477: [1964] एस. सी. आर. 64-अनुसरण किया गया।

एम/एस। पेरी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम पी. सी. पाल, द्वितीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता के न्यायाधीश और अन्य एआईआर 1970 एस. सी.

1334 [1969] एससीआर 976; टी. सी. बसप्पा बनाम टी. नागप्पा एयर 1954 एससी 440: [1955] एससीआर 250; हरि विष्णु कामथ बनाम। अहमद इशाक और ओआरएस। ए. आई. आर. 1955 एससी 233:

[201

9] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1955] एस. सी. आर. 1104; धरंगधारा केमिकल वर्क्स

लिमिटेड वी. सौराष्ट्र राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1957 एससी

264 : [1957] एस. सी. आर. 152; मुकंद लिमिटेड बनाम। मुकंद कर्मचारी और अधिकारी संघ (2004) 10 एस. सी. सी. 460: [2004] 2 एस. सी. आर. 951-पर निर्भर।

" भारत के संविधान के 9 वें संस्करण पर टिप्पणी '

दुर्गा दास बसु द्वारा-संदर्भित।

2.1 यह उपलब्धता के संबंध में संदर्भ पर श्रम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित होने के दौरान था

श्रमिकों को कुछ लाभ जो आवेदकों ने कथित रूप से अस्वीकार किए थे

रोजगार। उन्होंने आरोप लगाया कि संक्षेप में, उन्हें आवेदन जमा करने में धोखा दिया गया जैसे कि वे वी. एस. एस. का लाभ प्राप्त करने के लिए थे, जबकि वे इस तरह के उपयोग को न समझते हुए खाली कागजों पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। [पैरा 32] [317-बी-सी]

2.2 आदेश VI नियम 4 सी. पी. सी. के अनुसार, एक दीवानी मुकदमे में, यदि वादी धोखाधड़ी, गलत निरूपण या अनुचित प्रभाव का आरोप लगाता है, तो वह बाध्य है।

विवरण देने के लिए। धोखाधड़ी का आरोप गंभीर प्रकृति का मामला है। इसलिए अनुचित प्रभाव का आरोप है और

गलत निरूपण। आदेश VI नियम 4 में अंतर्निहित इरादा यह है कि विरोधी पक्ष को उस मामले के बारे में पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए जिससे उसे मिलने के लिए बुलाया जाता है। कानून घृणा करता है, एल. आई. एस. के पक्षों को आश्चर्यचकित किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप न्याय के मूल सिद्धांत का उल्लंघन होता है कि एक पक्ष को उसके खिलाफ स्थापित मामले को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। [पैरा 39] [318-एफ-जी]

2.3 अनुबंध अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित "धोखाधड़ी" शब्द की परिभाषा के अवलोकन से पता चलेगा कि अवधारणा धोखाधड़ी बहुत व्यापक है। इसमें कोई भी सुझाव शामिल है, एक तथ्य के रूप में, जो सच नहीं है, उस व्यक्ति द्वारा जो इसे करता है या नहीं मानता है

सच मानिए। इसकी तुलना अनुबंध अधिनियम की धारा 18 (1) से की जा सकती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ "गलत निरूपण" को परिभाषित करती है। यह प्रदान करता है कि यह गलत निरूपण है यदि एक द्वारा एक सकारात्मक दावा किया जाता है

वह व्यक्ति जो इस तरह से सच नहीं है जो उसके पास मौजूद जानकारी से प्रमाणित नहीं है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि वह इसे सच मान सकता है। दूसरे शब्दों में, धोखाधड़ी में, जो व्यक्ति असत्य सुझाव देता है, वह स्वयं इसे सच नहीं मानता है।

वह जानता है कि यह सच नहीं है, फिर भी वह एक सुझाव देता है जी. एम., विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा बनाम। श्री गिरिधारी साहू

जैसे कि यह सच था। दूसरी ओर, गलत प्रस्तुतिकरण में, गलत प्रस्तुतिकरण करने वाला व्यक्ति इसे सच मानता है। लेकिन कानून घोषणा करता है कि उनके पास जो जानकारी थी और जिसे वे सच मानते थे, उसके आधार पर इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, उनके द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व एक बन जाता है

गलत निरूपण क्योंकि यह एक ऐसा कथन है जो असत्य पाया जाता है। धोखाधड़ी तब की जाती है जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से किसी तथ्य को छुपाता है, जो या तो तथ्य के बारे में जानता है या तथ्य के अस्तित्व में विश्वास करता है। छिपाना सक्रिय होना चाहिए। यह यहाँ है कि अपवाद में केवल मौन की व्याख्या की गई है जो एक व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करेगा जो एक अनुबंध में प्रवेश करता है कि वह धोखाधड़ी नहीं है जब तक कि परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि बोलना उसका कर्तव्य बन जाए। उनकी खामोशी अपने आप में भाषण के बराबर हो सकती है। एक व्यक्ति उसे पूरा करने का कोई इरादा किए बिना एक वादा कर सकता है। यह धोखाधड़ी है। कानून आगे घोषणा करता है कि धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई भी अन्य कार्य धोखाधड़ी है। इसी तरह, कोई भी कार्य या चूक, जिसे कानून धोखाधड़ी घोषित करता है, धोखाधड़ी के बराबर है। हालाँकि एक सुनहरे रुझान के रूप में और अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के विभिन्न अंगों के माध्यम से कानून की आवश्यकता के रूप में चलना छल का तत्व है। एक व्यक्ति जो खड़ा है धोखाधड़ी का अभियुक्त चाहे वह दीवानी या आपराधिक कार्रवाई में हो, उसे धोखाधड़ी करने का इरादा रखना चाहिए। धोखे में विभिन्न रूप शामिल हो सकते हैं और इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर आंका जाना चाहिए। जाहिरा तौर पर इन गंभीर परिस्थितियों के कारण

धोखाधड़ी का एक कानूनी संबंध या एक कथित कानूनी संबंध है कि धोखाधड़ी के विवरण और विवरण की आवश्यकता होती है यदि एक दीवानी मुकदमे या एक कार्यवाही में अनुरोध किया जाता है जिस पर सी. पी. सी. लागू होता है। [पैरा 44] [321-ए-जी]

2.4 अधिनियम की धारा 33ए के तहत एक आवेदन एक दीवानी मुकदमा नहीं है। सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 4 के प्रावधान, अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। जबकि

सी. पी. सी. के प्रावधान लागू नहीं हो सकते हैं, सन्निहित हितकारी सिद्धांत लागू होंगे। यह इस कारण से है कि अभिवचन का उद्देश्य, चाहे वह दीवानी मुकदमे में हो या अन्य कार्यवाही में, विरोधी पक्ष को अपने प्रतिद्वंद्वी के मामले का सामना करने की अनुमति देना है ताकि साक्षय तैयार किया जा सके और अपने मामले के समर्थन में कानून का संचालन किया जा सके। वर्तमान मामले में धोखाधड़ी के संबंध में पर्याप्त अभिवचन नहीं है। अनुचित प्रभाव का आरोप पूरी तरह से [2019] 12 एस. सी. आर. के बिना है।

अभिवचन में कोई भी आधार। वी. एस. एस., यदि किसी कर्मचारी द्वारा लिया जाता है स्वेच्छा से, एक अनुबंध के बराबर है। [अनुच्छेद 46,50 और 51] [322-जी; 323-ए-बी; 324-एफ-जी]

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का प्रबंधन बनाम। कर्मचारी और

अन्य ए. आई. आर 1973 एस. सी 878: [1973] 3 एस. सी. आर. 303; भारत आयरन वर्क्स बनाम। भागूभाई बालुभाई पटेल ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 98: [1976] 2 एस. सी. आर. 280; बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम ओ. पी. स्वर्णकार और अन्य (2003) 2 एस. सी. सी. 721: [2002]

5 पूरक। एस. सी. आर. 438 पर भरोसा किया।

3.1 आवेदक, 1989 के ओ. जे. सी. संख्या 2420 में रिट याचिकाकर्ता संघ के सदस्य थे, जो इसके तहत हकदार बन गए

उच्च न्यायालय का निर्णय जिसे इस न्यायालय द्वारा नियमितीकरण के निर्देश के संबंध में पुष्टि की गई थी, बशर्ते कि उन्होंने 28.10.1992, यानी उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख को पांच साल की अवधि के लिए लगातार सेवा की हो। 1989 के ओ. जे. सी. संख्या 2420 में उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया कि रिट याचिकाकर्ता संघ के वे सदस्य जिन्होंने 28.10.1992 (निर्णय की तारीख) तक लगातार पांच साल की अवधि तक सेवा की, वे नियमितीकरण के हकदार थे क्योंकि उच्च न्यायालय ने नियमितीकरण का निर्देश दिया था। उन्होंने वास्तव में एक कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिया था। यह निस्संदेह इस न्यायालय में लंबित मुकदमे के अधीन था। 28.10.1992 से पहले पांच साल की निरंतर सेवा की अवधि का अर्थ उन कर्मचारियों से होगा जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता संघ के सदस्य थे।

1989 के ओ. जे. सी. सं. 2420 में न्यायालय ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्हें 27.10.1987 पर या उससे पहले नियुक्त किया गया था। वास्तव में, के द्वारा जा रहा है आवेदकों का बयान, ऐसा प्रतीत होता है कि AW1 ने होने का दावा किया

1988 से काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ए. डब्ल्यू. 1 स्पष्ट रूप से वह नहीं था जिसे उच्च न्यायालय द्वारा नियमितीकरण के निर्देश द्वारा कवर किया गया था क्योंकि वह 03.06.1988 से काम कर रहा था, क्योंकि वह केवल 02.06.1993 तक पाँच साल पूरे करेगा। [पारस 63 और 65] [333-एफ-जी; 334-ए-सी]

3.2 ए. डब्ल्यू. 2 से ए. डब्ल्यू. 4 तक, दी गई तारीखों के अनुसार, यदि उन्होंने तारीखों से लगातार काम किया होता, तो उन्हें कवर किया जाता।

नियमितीकरण के लिए उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा। उनके पक्ष में दिशा अंतिम नहीं थी। इस प्रकार, यदि वी. एस. एस. जारी किया गया था और यह पर्याप्त रूप से आकर्षक पाया गया था, तो उनके लिए इसका लाभ उठाना अप्राकृतिक या उनके लिए अनुचित नहीं होगा। इस संबंध में, अपीलकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि 281 एन. एम. आर. जी. एम. में से, विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओ. आर. आई. एस. ए. बनाम.

श्री गिरिधारी साहू

योजना का विकल्प चुनने वाले आकस्मिक खलासियों और निगम ने 271 श्रमिकों के आवेदन स्वीकार कर लिए। यह केवल 90 आवेदक हैं, यह बताया गया है, जिन्होंने एक सोमरसॉल्ट किया है और उनके द्वारा किए गए आवेदनों से फिर से आवेदन करने की मांग की है। [पारस 65 और 66] [334-सी-एफ] 3.3 अधिनियम की धारा 33 ए के तहत आवेदन अनुग्रह राशि प्राप्त करने की तारीख से कई महीनों के बाद दायर किया गया था

एन. एम. आर. कर्मचारियों के लिए वी. आर. एस. की राशि में वृद्धि। 20.05.2000 पर आयोजित चर्चा के कार्यवृत्त हैं प्रबंधन और संघ के प्रतिनिधि। द मिनट्स

यह इंगित करता है कि वी. एस. एस. से संबंधित मुद्दा, जिसे चर्चा के लिए लिया गया था, था-"(1) एन. एम. आर. कर्मचारियों के लिए वी. एस. एस. की बढ़ी हुई राशि"। यह सच हो सकता है कि अधिसूचना दिनांक 27.04.2000 अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थी। इसी तरह आगे की अधिसूचनाएँ दिनांकित 17.06.2000 और 28.01.2000 थीं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आवेदकों को रुपये की राशि दी गई है जो अन्य राशियों के अलावा योजना के तहत विचार की गई राशि है। इन राशियों का भुगतान चेक द्वारा आवेदकों के खातों में किया गया है। जो आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, वे दो गवाहों द्वारा देखे गए प्रतीत होते हैं। यह अधिसूचना की शर्तों के अनुसार है जिसमें कहा गया है कि आवेदन पर दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसी प्रकार, प्रभावी भुगतानों के संबंध में, प्राधिकरण दो गवाहों के हस्ताक्षर द्वारा समर्थित प्रतीत होता है। [पारस 67,68 और 69] [334-जी-एच; 335-ए]

3.4 किसी भी आवेदक के पास ऐसा मामला नहीं है कि आवेदन में उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। यह हो सकता है

यह सच है कि 90 में से एक आवेदक ने वापस लेने के लिए एक पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि अन्य 89 आवेदकों ने वापस लेने के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। एक कर्मचारी (प्रथम आवेदक) द्वारा दायर आवेदन में, वह बताएगा कि उसे धमकी दी गई थी और मजबूर किया गया था और डर के कारण, उसे उसकी इच्छा के खिलाफ वीएसएस के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। उनका कभी भी वी. एस. एस. लेने का इरादा नहीं था और उन्हें बताया गया था कि उन्हें [2019] 12 एस. सी. आर. करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

स्ट्रैट्स। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका आवेदन दिनांकित 01.06.2000 है, जो उनके आवेदन करने की अगली तारीख है। यह याद किया जा सकता है कि ए. डब्ल्यू. 1 एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के लाभ का भी हकदार था क्योंकि उसने निर्णय की तारीख तक पांच साल पूरे नहीं किए थे। एक तरफ धमकी या जबरदस्ती और धोखाधड़ी के मामले में कोई समानता नहीं हो सकती है। [पैरा 71] [335-ई-एच; 336-ए]

3.5 जिस तरह से धोखाधड़ी को कायम रखा गया था, धोखाधड़ी की सटीक प्रकृति और व्यक्ति या व्यक्ति जिनके द्वारा धोखाधड़ी की गई थी

स्थायी, अभिवचनों में लापता पाए जाते हैं। वर्तमान मामले में, अभिवचन मामले की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। साक्षय की स्थिति, जो प्रस्तुत की जाती है, मामले को और भी बदतर बना देती है। पहले द्वारा भेजा गया विरोध पत्र दिनांक 01.06.2000

आवेदक मामले को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है जैसा कि याचिका में कहा गया है आवेदन। पहले आवेदक के अलावा, 89 अन्य में से कोई भी नहीं

आवेदकों ने वी. एस. एस. के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। हालांकि सुलह अधिकारी को भेजे गए एक पत्र का उल्लेख है, लेकिन इसे रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। [पारस 72,76 और 77] [336-बी; 338-ए-सी]

3.6 अपीलकर्ताओं ने श्रम न्यायालय के समक्ष कई दस्तावेजी साक्षय प्रस्तुत किए हैं। प्रदर्शनी में शामिल हैं -

आवेदन जिन पर आवेदकों और दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे; स्वयं वी. एस. एस. योजना; वी. एस. एस. योजना के तहत राशि के भुगतान के प्राधिकरण का प्रमाण देने वाला दस्तावेज; चर्चा के लिए प्रबंधन के समक्ष मांग का चार्टर। 'एफ' प्रदर्शित करें। बैठक की चर्चा के कार्यवृत्त जो 20.05.2000 पर आयोजित किए गए थे। [पैरा 78] [338-सी-डी]

3.7 आवेदक दलील देने और साबित करने में विफल रहे हैं, और

इस बात का पैमाना कि यह कोई सबूत नहीं होने का मामला है, पुरस्कार कमजोर हो गया और इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता था। श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष कि यह आवेदकों की पसंद नहीं थी और शिकायतकर्ताओं पर रोजगार से इनकार करने के बराबर दबाव डाला गया था, कानून और तथ्यों दोनों में पूरी तरह से असमर्थनीय है।

यह निष्कर्ष कि शिकायतकर्ताओं की ओर से वी. एस. एस. शुरू करने की कोई मांग नहीं की गई थी, पूरी तरह से ऐसा है अप्रासंगिक, क्योंकि एक नियोक्ता के रूप में, यह निश्चित रूप से ऐसी नीति तैयार करने के लिए खुला था जो निगम के सर्वोत्तम हित में थी।

जी. एम., विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा बनाम। श्री गिरिधारी साहू

योजना की वैधता इस बात पर निर्भर नहीं करती थी कि योजना की उत्पत्ति श्रमिकों की मांग में हुई है। यह निष्कर्ष कि कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए योजना या सिफारिश का कोई प्रस्ताव नहीं था, पूरी तरह से अप्रासंगिक था। यह वास्तव में इस योजना का प्रस्ताव है और इसे कहीं और लागू किया जा रहा है

साथ ही जिस पर श्रम न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए था। [पैरा 81] [338-एच; 339-ए-सी]

चर्चा वी. एस. एस. के तहत बढ़े हुए भुगतान से संबंधित नहीं थी। लेकिन यह सच है कि ओ. पी. डब्ल्यू. 1 स्वीकार करता है कि प्रदर्शनी 'जी' में दोनों पदाधिकारी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, हालांकि उनके नाम दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि, कार्यान्वयन से पहले होने वाली चर्चा के बारे में कोई प्रतिपरीक्षा नहीं है। इसलिए, यह किसी भी तरह से यह दर्शाता है कि आवेदक, जो संघ के सदस्य थे, वीएसएस के बारे में पूरी तरह से जानते थे। उनके लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि उन्हें उनके अपने संघ के नेताओं द्वारा गुमराह या धोखा दिया गया था। पुरस्कार के अवलोकन से पता चलेगा कि इन दस्तावेजों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। इस प्रकार, यह एक ऐसा मामला है जहां अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्षय को श्रम न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस प्रकार, आह्वान के लिए श्रम न्यायालय के समक्ष कोई मामला नहीं बनाया गया था

अधिनियम की धारा 33 के साथ पठित धारा 33 ए। [पारस 83 और 85] [340-ई-जी; 341-ए]

उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम। बलराम साहू और अन्य (2003) 1 एस. सी. सी. 250 [2002] 3 पूरक। एससीआर 525-निर्भर

पर।

4. उच्च न्यायालय में अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 28 आवेदकों ने अपीलार्थियों से प्राप्त राशि जमा की ताकि अधिनियम की धारा 17 बी के तहत आवेदन को आगे बढ़ाया जा सके। यह राशि

जमा की तारीख से भुगतान की तारीख [2019] तक 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

संबंधित श्रमिकों को जिन्होंने जमा किया था। [पारस

और 87] [341-जी-एच; 342-ए]

मामला कानून संदर्भ

(2005) 3 एससीसी 193

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

[1955] एससीआर 250

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[1955] एससीआर 1104

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

[1957] एससीआर 152

उस पर भरोसा करें

पै

रा 23

[1964] एससीआर 64

पीछा किया।

पै

रा 24

[1969] एससीआर 976

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

[2004] 2 एससीआर 951

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

[1973] 3 एससीआर 303

उस पर भरोसा करें

पै

रा 47

[1976] 2 एससीआर 280

उस पर भरोसा करें

पै

रा 48

[2002] 5 पूरक। एससीआर 438

उस पर भरोसा करें

पै

रा 51

[2002] 3 पूरक। एससीआर 525

उस पर भरोसा करें

पै

रा 61

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 8

2010 से।

उच्च न्यायालय के 14.05.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

ओडिशा के कटक में डब्ल्यू. पी. (ग) 2002 की सं. 3710।

शिबाशीष मिश्रा, एस. देबब्रत रेड्डी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए

जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रामेंद्र मोहन पटनायक, अर्णव

केतन शाह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील फैसले के खिलाफ निर्देशित है

उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा भारत के संविधान की आरती 226 और 227 के तहत दायर रिट आवेदन को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष जिस बात पर सवाल उठाया गया वह श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर द्वारा पारित पुरस्कार था।

2. विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था

आवेदन किया और पुरस्कार की पुष्टि की।

यह पुरस्कार या जी. एम., विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा बनाम को पारित किया गया था। श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपीलार्थी के 90 कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33ए (इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत दायर आवेदन, जिसमें उत्तरदाताओं को आवेदक के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

3. आई. डी. 1 पर, उच्च न्यायालय ने 1989 की रिट याचिका ओ. जे. सी. संख्या 2420 में कहा कि रेंगली पनबिजली परियोजना (आर. एच. ई. पी.) में एन. एम. आर. कार्यकर्ता जिन्होंने फैसले की तारीख को पांच साल की अवधि के लिए लगातार काम किया था, वे नियमितीकरण के हकदार थे। उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान वेतन का हकदार पाया गया। याचिकाकर्ताओं

अपीलार्थियों-प्रबंधन और उसके कर्मचारियों के बीच। मुद्दा अनिवार्य रूप से यह था कि क्या एन. एम. आर. कर्मचारी संशोधित दरों पर पनबिजली भत्ते के भुगतान के हकदार थे। आगे का मुद्दा यह था कि क्या उड़ीसा पनबिजली निगम की रेंगली इकाई के एन. एम. आर. कर्मचारी, जिन्हें चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा था, संशोधित दरों पर इस तरह के भत्ते के हकदार थे। 5. आवेदकों का अगला मामला, जो अधिनियम की धारा 33ए के तहत आवेदन में एन. एम. आर. कार्यकर्ता थे, यह था कि उन्होंने हस्ताक्षर किए थे

कुछ कागजात इस आधार पर कि उनके होने के लिए यह आवश्यक था

नियमित किया गया लेकिन जैसा कि यह निकला, इसका उपयोग इस तरह किया गया जैसे कि वे स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (इसके बाद संक्षेप में 'वीएसएस' के रूप में संदर्भित) के लाभ का दावा करने के लिए आवेदन थे। उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका गया था। उन्हें प्रचलित धोखे के बारे में पता चला। इसके कारण अधिनियम की धारा 33ए के तहत आवेदन किया गया। 6. श्रम न्यायालय ने पाया कि वी. एस. एस. को आवेदकों पर थोपा गया था और कोई प्रचार नहीं किया गया था और आवेदन की अनुमति दी और 70 प्रतिशत वेतन के साथ बहाली का निर्देश दिया जिसे आवेदकों को किए गए भुगतान के साथ समायोजित करने का निर्देश दिया गया था।

7. उच्च न्यायालय ने देखा कि एक औद्योगिक विवाद लंबित था,

जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। इसने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि श्रम न्यायालय ने पाया है कि वी. एस. एस. को एन. एम. आर. श्रमिकों की जानकारी के लिए व्यापक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया था, और इसलिए, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा कि एन. एम. आर. श्रमिकों ने इसके [2019] 12 एस. सी. आर. को जानते हुए आवेदनों पर हस्ताक्षर किए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामग्री और परिणाम। यह अन्य बातों के साथ आगे पाया गया कि

श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्षय की सराहना करने पर पुरस्कार पारित किया गया था। यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय के समक्ष क्या लागू किया गया था, यह प्रमाणिक अधिकार क्षेत्र था और एक रिट जारी की जा सकती है

केवल पर्यवेक्षी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए और यह पाते हुए कि कोई अधिकारिता त्रुटि या इसके सामने कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं थी, रिट याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया गया था।

8. हमने अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री शिबाशीष मिश्रा और विद्वान वरिष्ठ श्री जयंत भूषण को सुना है।

आवेदकों की ओर से पेश होने वाले वकील।

दलों की सामग्री

9. अपीलार्थी प्रस्तुत करेंगे कि एन. एम. आर./आकस्मिक खलासियों के संबंध में वित्त विभाग की सहमति के बाद वी. एस. एस. जारी करने के लिए उड़ीसा सरकार, ऊर्जा विभाग ने अपीलार्थी-निगम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 15.04.2000 पर, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने अध्यक्ष को कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक तारीख तय करने के लिए लिखा। इनमें से एक मुद्दा एन. एम. आर. कर्मचारियों के लिए वी. आर. एस. को बढ़ाने के बारे में था। 27.04.2000 पर, अपीलार्थी-निगम ने वरिष्ठ महाप्रबंधक को सूचित किया कि वी. एस. एस. को रेंगली इकाई में 01.05.2000 से 31.05.2000 तक लागू किया जाएगा। योजना के साथ एक अधिसूचना श्रमिकों के बीच वितरित की जानी थी। यह अपीलार्थी का मामला है कि 357 में से 260 एन. एम. आर./आकस्मिक खलासियों ने अलग करने का अनुरोध किया था। निगम ने 254 एन. एम. आर./आकस्मिक खलासियों के आवेदन को स्वीकार कर लिया। 25.05.2000 पर प्रबंधन और संघ के बीच चर्चा हुई। अधिकतम 43 श्रमिकों को नियमित करने और वी. एस. एस. के तहत विचार किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या के बारे में भी निर्णय लिए गए। पहले आवेदक ने योजना के तहत 31.05.2000 पर आवेदन किया। आवेदक का आवेदन 08.06.2000 पर स्वीकार किया गया था। यह अपीलार्थी का मामला है कि आवेदक का दिनांकित 01.06.2000 का पत्र अपीलार्थी को कभी प्राप्त नहीं हुआ था। 13.06.2000 पर, वास्तव में, पहले आवेदक ने योजना के तहत उपदान का भुगतान करने की मांग की। 17.06.2000 पर निगम ने 14.06.2000 से 24.06.2000 तक छह दिनों के लिए वीएसएस के विस्तार को अधिसूचित किया। उस चरण के दौरान, 23 एन. एम. आर./आकस्मिक खलासियों ने वी. एस. एस. लाभ मांगे और 21 के आवेदन स्वीकार किए गए।

10. <आई. डी. 1] पर, अपीलार्थी द्वारा 1993 की सिविल अपील संख्या 7343 में इस न्यायालय में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें निर्णय जी. एम., विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना,

ओरीसा वी. श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

वी. एस. एस. को लागू करने के लिए और अन्य बातों के साथ-साथ, 260 व्यक्तियों को

योजना के लिए आवेदन किया था जिसमें से 255 के आवेदन स्वीकार किए गए थे और उन्होंने योजना के तहत लाभ लिया था। आई. डी. 1 पर एक दौर की चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि रेंगली इकाई में एन. एम. आर. को और नियमित नहीं किया जाएगा और वी. एस. एस. को एक बार फिर आई. डी. 2 के साथ समाप्त किया जाएगा। 28.01.2001 पर, VSS को 30.01.2001 से एक महीने के लिए उपलब्ध कराया गया था। 01.03.2001 . इस चरण के तहत भी 3 एन. एम. आर./आकस्मिक खलासियों ने वी. एस. एस. का लाभ मांगा। वी. एस. एस. के लिए आवेदन करने वाले श्रमिकों को भुगतान किया गया था।

इससे पहले 90 आवेदकों ने वी. एस. एस. की पूरी जानकारी के साथ आवेदन किए थे। कर्मचारी, जो एन. एम. आर. प्रतिष्ठान में काम कर रहे थे, जिन्होंने निगम में पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा दी थी और जिनके पास 01.01.1999 पर एक विशेष आयु प्राप्त करने से पहले तीन साल बचे थे, वे योजना के तहत हकदार थे। 12. उन्होंने वास्तव में आवेदकों द्वारा दायर आवेदनों पर भरोसा किया है। उन्होंने आवेदनों की सामग्री का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया था कि वी. एस. एस. ने एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान पर विचार किया था। 1.25 अन्य राशियों के अलावा लाखों।

13. इस योजना का उद्देश्य इस तथ्य पर विचार करना था कि एन. एम. आर. प्रतिष्ठान के कर्मचारियों पर केवल इसके लिए विचार किया जा सकता है -

योजना के अनुसार स्थायी रोजगार जो था

मई, 1998 के दौरान शुरू किया गया, और चूंकि इन कर्मचारियों को काम की उपलब्धता के बिना रोजगार का कोई अधिकार नहीं था और यह देखते हुए कि उनमें से कुछ ने कई वर्षों की सेवा की थी, वीएसएस को अनुरूप मौद्रिक लाभों के साथ अलग करने के लिए पेश किया गया था। आगे का उद्देश्य आवश्यक कुशल श्रमशक्ति और उत्पादकता में वृद्धि के आलोक में निगम की श्रमशक्ति को तर्कसंगत बनाना था। इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य अनावश्यक श्रमशक्ति को कम करना और अधिकतम श्रमशक्ति उपयोग प्राप्त करना था।

9] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू थी जो भर्ती पर लगाए गए प्रतिबंध की तारीख से पहले शामिल हुए थे। यह निवेदन, अपीलकर्ताओं ने उन दस्तावेजों के आधार पर किया, जिन्हें बाद में रिकॉर्ड में लाया गया था। बहस शुरू हो गई थी। प्रतिबंध की तारीख 12.04.1993 थी। श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रदर्शनी 'एच' के संदर्भ में आगे यह बताया गया कि आवेदनों में गवाहों पर विचार किया गया था। गवाह आर. एच. ई. पी. में नियमित या कार्य-प्रभारित कर्मचारी होने थे। उनके नामों का खुलासा किया जाना था। प्रदर्शनी 'एच' दिनांक 24.04.2000 का खंड (08) निम्नानुसार पढ़ा गया और इस पर भरोसा किया गया:

" 08. इच्छुक कर्मचारियों को इलाके के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में एस. बी. खाता खोलना होगा क्योंकि अनुग्रह राशि और एकमुश्त राशि का भुगतान ए/सी भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा। बैंक खाता खोलने की सुविधा के लिए, संबंधित कर्मचारी को अनुरोध पर अग्रिम के रूप में Rs.500/- की राशि का भुगतान किया जा सकता है जिसे उसके अंतिम बकाया के साथ समायोजित किया जाएगा।

15. उन्होंने आगे कहा कि दायर किए गए आवेदनों के आधार पर

वी. एस. एस. के तहत लाभ दिया गया। देय राशि आई उनके बैंक खातों में जमा किया गया। इसलिए, यह आवेदकों के लिए खुला नहीं है।

उनके आवेदनों द्वारा स्थापित अपने पद से हटना और एक मामला स्थापित करना जैसे कि उन्हें ऐसे आवेदन करने में धोखा दिया गया हो। आवेदक विषय-वस्तु और उसके परिणामों से अवगत थे। श्रम न्यायालय ने निष्कर्ष पर पहुंचने और पुरस्कार पारित करने में अवैध रूप से काम किया है, जिसे हमने देखा है। उन्होंने (2003) 5 एससीसी 163; (2004) 2 एससीसी 193; (2006) 9 एससीसी 177; (2004) 9 एससीसी 36; (2003) 2 एससीसी 721; (2016) 9 एससीसी 375; (2006) 3 एससीसी 708; (2015) 4 एससीसी 482; (2003) 1 एससीसी 250; एआईआर 1964 एससी 477 पर भी भरोसा किया।

16. वी. एस. एस. के तहत लाभ प्राप्त करने के बाद, यह श्रमिकों के लिए खंडन करने के लिए खुला नहीं था। श्रम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अनदेखी की है

वी. एस. एस. के लाभ का दावा करने वाले आवेदकों द्वारा विधिवत किए गए आवेदनों के रूप में भारी साक्षय, बैंक खातों में आवेदनों के संदर्भ में आवेदकों को भुगतान का तथ्य। वह आगे यह भी बताएगा कि भुगतान की पुष्टि इस तथ्य से की जा सकती है कि उक्त प्रक्रिया के दो गवाह होने से भी प्रक्रिया को पवित्र किया गया है।

जी. एम., विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा बनाम। श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

17. इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयंत भूषण ने कहा,

यह इंगित करें कि यह न्यायालय इस बात की सराहना कर सकता है कि जो शामिल है वह श्रम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत तथ्य के निष्कर्ष हैं। उच्च न्यायालय, इसके अधीन

पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार ने तथ्य के ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया है और उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद, वह इंगित करेंगे कि आवेदक, जो केवल एन. एम. आर. कार्यकर्ता थे, उन्हें योजना की सामग्री के ज्ञान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। श्रम न्यायालय द्वारा सभी मामलों की सराहना की गई है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदकों में से एक (प्रथम आवेदक) द्वारा किया गया निम्नलिखित आवेदन। वह इस प्रकार है:

" को,

निदेशक (एचआरडी),

निगम कार्यालय, भुवनेश्वर

प्रबंधक के माध्यम से,

रखरखाव प्रभाग आर. एच. ई. पी., रेंगली।

उप: मेरा वी. एस. एस. आवेदन वापस लेने के संबंध में।

साहब।

विनम्र आवेदक श्री गिरिधारी साहू के रूप में काम कर रहे हैं

31.5.2000 पर 3.6.1988 के बाद से रखरखाव प्रभाग में एन. एम. आर. वेल्डर

प्रबंधन, रखरखाव की धमकी और जबरदस्ती पर, इस डर से कि मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध वी. एस. एस. पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। मैं कभी नहीं।

वी. एस. एस. लेने का इरादा। मुझे बताया गया कि जब तक मैं वी. एस. एस. पर हस्ताक्षर नहीं करता

आवेदन मैं सब कुछ खो दूंगा (एस. आई. सी.) और डरने के लिए मजबूर हो जाऊंगा

इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि मेरा आवेदन दिनांकित 31.5.2000 हो। मुझे वापस किया जा सकता है जिसके लिए मैं हमेशा बाध्य रहूंगा।

आप

की वफादारी से,

एसडी /

गिरि

धारी साहू

1.6.2000

XXX "

XXX

XXX

XXX

(जोर दिया

गया)

18. उन्होंने आगे तर्क दिया कि श्रमिकों ने भी तुरंत

घटना के बाद, सुलह अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया। यह [2019] 12 एस. सी. आर. दिखाने के लिए पर्याप्त है।

कि वे शुरू में परिणामों से अवगत नहीं थे और, किसी भी समय

दर, जल्द से जल्द, उन्होंने रीसाइल करने की मांग की है। उन्होंने मदुरांतकम कूप के प्रबंधन में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम। एस. विश्वनाथन 1.

19. इसके विपरीत, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील, यह इंगित करेंगे कि आवेदन की प्रकृति में, कम से कम, केवल एक ही आवेदन था जिसका हमने अभी उल्लेख किया है, अर्थात्, केवल एक कर्मचारी ने अपीलकर्ताओं की धमकी और जबरदस्ती के बारे में बताते हुए एक आवेदन दर्ज किया है-प्रबंधन और यह कि कर्मचारियों का कभी भी वी. एस. एस. लेने का इरादा नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थियों का मामला यह है कि पहले आवेदक का दिनांक 01.06.2000 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। सबूत केवल चार श्रमिकों द्वारा दिए गए हैं। 90 आवेदकों द्वारा आवेदन दिए गए हैं। इसलिए, यह आवेदकों के लिए ऊपर निर्दिष्ट आवेदन द्वारा स्टोर करने के लिए खुला नहीं था।

द स्कोप ऑफ सर्टिओररी ज्यूरिफिकेशन

20. चूंकि, आवेदकों का तर्क है कि श्रम न्यायालय द्वारा तथ्य के निष्कर्ष प्रमाणिक अधिकार क्षेत्र में लगभग अनुपलब्ध हैं और

उच्च न्यायालय द्वारा तर्क को अपील करने वाला और स्वीकार किया गया पाया गया है, उसी से निपटना आवश्यक है। 21. न्यायाधिकरण के अधिकार के भीतर आने वाले मामले के संबंध में एक गलत निर्णय एक रिट आवेदक को रिट के लिए हकदार नहीं बनाएगा।

सर्टिओरारी। हालाँकि, यदि निर्णय योग्यता के लिए किसी भी संपार्श्विक से संबंधित है, तो एक गलत निर्णय जिस पर, इसके अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करेगा, तो प्रमाण पत्र का एक रिट होगा। पैरी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम देखें। वाणिज्यिक

कर्मचारी संघ ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 17. इस न्यायालय द्वारा टी. सी. बसप्पा बनाम में प्रमाण पत्र की रिट के दायरे पर विस्तृत विचार किया गया। टी. नागप्पा 2. इसमें, इस न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" 7. ..... सर्टिओरारी रिट की दूसरी आवश्यक विशेषता यह है कि उसके माध्यम से न्यायिक या अर्ध पर नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। न्यायिक न्यायाधिकरण या निकाय अपीलीय नहीं बल्कि पर्यवेक्षी क्षमता में होते हैं। प्रमाणपत्र की रिट देने में उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। यह उन साक्षयों की समीक्षा या पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है जिनके आधार पर

हीन न्यायाधिकरण का उद्देश्य आधारित होना है। यह उस आदेश को ध्वस्त कर देता है जिसे वह अधिकार क्षेत्र के बिना या स्पष्ट रूप से गलत मानता है लेकिन

1 (2005) 3 एससीसी 193

2 ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 440 [।

, विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा वी. श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपने स्वयं के विचारों को निम्न न्यायाधिकरण के विचारों के स्थान पर नहीं रखता है। ऐसा कहने के लिए अपमानजनक आदेश या कार्यवाही को रास्ते से हटा दिया जाता है जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति के नुकसान के लिए नहीं किया जाना चाहिए [वालशॉल के ओवरसियर बनाम में लॉर्ड केर्न्स के अनुसार। लंदन और

उत्तर पश्चिमी रेलवे कं., (1879) 4 एसी 30, 39.] .

XXX

XXX

XXX

9. प्रमाणपत्र झूठ बोल सकता है और आम तौर पर तब दिया जाता है जब अदालत ने

अपने अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक कार्य किया। अधिकारिता की कमी विषय की प्रकृति से उत्पन्न हो सकती है-कार्यवाही का मामला या कुछ प्रारंभिक कार्यवाही के अभाव से या न्यायालय स्वयं कानूनी रूप से गठित नहीं हो सकता है या बाहरी परिस्थितियों के कारण कुछ अक्षमता से पीड़ित हो सकता है। , खण्ड. IX, पी। 880] . जब न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी संपार्श्विक तथ्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, तो यह अच्छी तरह से तय हो जाता है कि न्यायालय तथ्य के गलत निर्णय से उसे ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं दे सकता है जो अन्यथा उसके पास नहीं होगा। फुलर, 9

Exch। 111 ; आर वी। आयकर विशेष प्रयोजन आयुक्त, 21 क्यू. बी. डी. 313]।

10. एक न्यायाधिकरण जांच करने के लिए सक्षम हो सकता है लेकिन जांच करने में वह प्रक्रिया के नियमों की घोर अवहेलना कर सकता है या जहां कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकता है। ऐसे मामलों में प्रमाणपत्र की एक रिट उपलब्ध हो सकती है। निर्णय या निर्धारण में एक त्रुटि स्वयं भी प्रमाण पत्र के लिए उत्तरदायी हो सकती है, लेकिन यह कार्यवाही के सामने एक स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए, उदाहरण के लिए जब यह स्पष्ट अज्ञानता या कानून के प्रावधानों की अवहेलना पर आधारित हो। .....

(जोर दिया गया)

22. हरि विष्णु कामथ बनाम। अहमद इशाक और Ors.[3], यह न्यायालय

" 21. ..... इन प्राधिकरणों पर, निम्नलिखित प्रस्तावों को स्थापित के रूप में लिया जा सकता है: (1) प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा अधिकारिता की त्रुटियों को सुधारना, जैसे कि एक निम्न न्यायालय या

न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक कार्य करता है, या इसका प्रयोग करने में विफल रहता है। (2) प्रमाणपत्र भी तब जारी किया जाएगा जब न्यायालय या

न्यायाधिकरण अपने निर्विवाद अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से कार्य करता है,

जैसे कि जब यह पक्षों को मौका दिए बिना निर्णय लेता है

अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं। इसका एक परिणाम यह है कि अदालत ने निचली अदालत द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं करेगा या

न्यायाधिकरण, भले ही वे गलत हों। यह इस सिद्धांत पर है कि न्यायालय जिसका किसी विषय-वस्तु पर अधिकार क्षेत्र होता है, उसका अधिकार क्षेत्र होता है

उस निर्णय के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करने का विकल्प नहीं चुनते हैं, यह अपने उद्देश्य और नीति को विफल कर रहा होगा, अगर एक उच्च न्यायालय था

साक्षय के आधार पर मामले की पुनः सुनवाई करना, और अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करना

प्रमाणपत्र में। ये प्रस्ताव अच्छी तरह से तय किए गए हैं और इनमें नहीं हैं। विवाद।

XXX

XXX

XXX

23. इसलिए यह तय किया जा सकता है कि

कानून की त्रुटि को ठीक करने के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। लेकिन यह है।

यह आवश्यक है कि यह केवल एक त्रुटि से कुछ अधिक होना चाहिए; यह

वह होना चाहिए जो अभिलेख के सामने प्रकट होना चाहिए।

तथ्य यह है कि चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि क्या है

अभिलेख को सटीक या संपूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि

अपनी प्रकृति में निहित अनिश्चितता का तत्व, और यह होना चाहिए

प्रत्येक मामले के तथ्यों पर न्यायिक रूप से निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाए।

(जोर दिया गया)

23. यह सवाल धरंगधारा केमिकल वर्क्स लिमिटेड में उठा।

सौराष्ट्र और अन्य। सवाल यह था कि क्या निष्कर्ष

ई-पक्ष के उत्तरदाताओं के कामगार होने के बारे में अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण

हस्तक्षेप किया जा सकता है। संबंधित विभिन्न परीक्षणों से निपटने के बाद

इस मुद्दे को समाप्त करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां भी कीं:

" 19. ..... यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि

तथ्य के एक प्रश्न पर त्रिनबुनाल जिसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में पूछताछ के लिए उत्तरदायी नहीं है

संविधान जब तक कि कम से कम इसे पूरी तरह से असमर्थित नहीं दिखाया जाता है

सबूत से "।

(जोर दिया गया)

1957 एससी 264 [।

, विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा वी. श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]24. सैयद याकूब बनाम में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। के. एस. अक्रृष्णन और अन्य ने निम्नलिखित शब्दों में ओरारी के लेखन के दायरे के बारे में बात की है:

" 7. अनुच्छेद 226 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता की सीमाओं के बारे में सवाल पर इस न्यायालय द्वारा अक्सर विचार किया गया है और उस ओर से वास्तविक कानूनी स्थिति अब संदेह में नहीं है। निचली अदालतों द्वारा की गई अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रमाणपत्र की एक रिट जारी की जा सकती है।

या न्यायाधिकरण: ये ऐसे मामले हैं जहां निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना, या इससे अधिक, या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप आदेश पारित किए जाते हैं। इसी तरह एक रिट जारी किया जा सकता है जहां उसे प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अदालत या न्यायाधिकरण अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करता है, उदाहरण के लिए, यह आदेश से प्रभावित पक्ष को सुनने का अवसर दिए बिना किसी प्रश्न का निर्णय करता है, या जहां व्यवहार करने में अपनाई गई प्रक्रिया है।

विवादित खोज को प्रभावित किया। इसी तरह, यदि तथ्य का कोई निष्कर्ष किसी साक्षय पर आधारित नहीं है, तो उसे कानून की त्रुटि माना जाएगा जिसे प्रमाण पत्र द्वारा ठीक किया जा सकता है। हालाँकि, इस श्रेणी के मामलों से निपटने में, हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष को प्रमाण पत्र के लिए कार्यवाही में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक और भौतिक साक्षय विवादित निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त या अपर्याप्त थे। साक्षय की पर्याप्तता या पर्याप्तता एक बिंदु और तथ्य के निष्कर्ष पर ले जाती है

उक्त निष्कर्ष विशेष अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं

न्यायाधिकरण के, और उक्त बिंदुओं को एक के समक्ष उत्तेजित नहीं किया जा सकता है

रिट कोर्ट। यह इन सीमाओं के भीतर है कि अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों पर प्रमाण पत्र का एक रिट जारी करने के लिए

वैध रूप से प्रयोग किया जा सकता है (हरि विष्णु कामथ बनाम। अहमद

इशाक [ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 233], नागेंद्र नाथ बोरा बनाम। कॉम. हिल्स डिवीजन और अपील [ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 398] और

कौशल्या देवी बनाम। बचित्तर सिंह (ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1168) "।

(जोर दिया गया)

25. हम अधिक महत्वपूर्ण रूप से व्यक्त किए गए दृष्टिकोण का विज्ञापन भी कर सकते हैं।

इस न्यायालय ने एक ऐसे मामले में जो एम/एस में अधिनियम के तहत फिर से उत्पन्न हुआ। पेरी

डी. कं. लिमिटेड बनाम। पी. सी. पाल, द्वितीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता के न्यायाधीश

डी अन्य। यह अधिकार क्षेत्र के दायरे से संबंधित मामला था

धारा 25 एफ के तहत छंटनी के मामले में। यही बात है।

ई न्यायालय ने अन्य बातों के साथ अभिनिर्धारित किया:

" 11. जिन आधारों पर उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है

ऐसी रिट याचिकाओं में उपलब्ध है जो अब तक अच्छी तरह से उपलब्ध है।

स्थापित किया गया। बसप्पा बनाम। नागप्पा [(1955) एससीआर 250] यह था यह देखा गया है कि प्रमाणपत्र की एक रिट आम तौर पर तब दी जाती है जब

एक जांच, प्रक्रिया के नियमों की घोर अवहेलना में कार्य करता है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जहां कोई विशेष नहीं है

प्रक्रिया निर्धारित की गई है। लेकिन केवल एक गलत निर्णय नहीं हो सकता है

सर्टिओरारी के एक रिट द्वारा सही किया गया क्योंकि इसका उपयोग इस रूप में किया जाएगा

छद्म वेश में एक अपील का लबादा लेकिन उस पर एक स्पष्ट त्रुटि स्पष्ट है स्पष्ट अज्ञानता या उपेक्षा के आधार पर कार्यवाही का चेहरा

कानून के प्रावधानों या अधिकारिता की अनुपस्थिति या अधिकता,

जब दिखाया जाता है, तो इसे ठीक किया जा सकता है। धरंगधारा रसायन में

वर्क्स लिमिटेड v. सौराष्ट्र राज्य [(1957) एससीआर 152] यह न्यायालय

एक बार फिर कहा कि जहां न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र है

तय करें कि एक प्रश्न तथ्य के निष्कर्ष पर आता है, ऐसा निष्कर्ष नहीं है

साक्षय द्वारा पूरी तरह से अनुचित। इसी तरह, आंध्र राज्य में प्रदेश बनाम. एस. श्री राम राव [ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1723] यह न्यायालय

यह मत व्यक्त किया कि जहां न्यायाधिकरण ने खुद को पहुँचने से अक्षम कर दिया है

आईआर 1970 एससी 1334 [।

, विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा वी. श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

साक्षय से परे कुछ विचारों द्वारा एक उचित निर्णय

और मामले के गुण-दोष या जहां इसका निष्कर्ष

इसका चेहरा इतना पूरी तरह से मनमाना और मनमौजी है कि कोई उचित नहीं है

व्यक्ति कभी भी उस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है जिसके तहत हस्तक्षेप किया जाता है अनुच्छेद 226 उचित होगा। ...

(जोर दिया गया)

26. हम मुकंद लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का विज्ञापन कर सकते हैं।

और कर्मचारी और अधिकारी संघ '। हम केवल विंग पैराग्राफ का विज्ञापन कर सकते हैं:

" 47. उनके इस तर्क के समर्थन में कि इस न्यायालय ने

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना

भारत का संविधान उसी शक्ति का प्रयोग करेगा जो उच्च न्यायालय अभ्यास कर सकता है और निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगा

एक न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य, विद्वान वकील ने फैसले का हवाला दिया

पैरी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम के मामले में। पी. सी. पाल [AIR 1970 SC 1334

: (1969) 2 एससीआर 976]। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

(एयर पी। 1341, पैरा 13)

" 13. चूँकि यह एक रिट याचिका से उत्पन्न होने वाली अपील है

निश्चित रूप से हम भी निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे न्यायाधिकरण द्वारा पहुँचा गया सिवाय उन आधारों के जिन पर

उच्च न्यायालय ऐसा कर सकता था।

48. फ्यूल इंजेक्शन लिमिटेड के मामले में v. कामगेर सभा

[(1978) 1 एससीसी 156: 1978 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 33] इस न्यायालय ने कहा कि

इसके अंतर्गत: (एस. सी. सी पी. 157, पैरा 3)

" लेकिन वर्तमान अपील एक निर्णय से हैं

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और इसलिए इसकी अधिकारिता अनुच्छेद के तहत विशेष अनुमति द्वारा एक अपील पर विचार करने में न्यायालय

136 आम तौर पर उच्च न्यायालय जो कर सकता है, उस तक ही सीमित होना चाहिए

या अनुच्छेद 226 के तहत किया गया होगा।

49. हमारे विचार में, वह सामग्री जो पहले रखी गई थी

न्यायाधिकरण पर विचार या चर्चा नहीं की गई थी और यह कि

इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा कोई निर्णय नहीं। पूरा पुरस्कार

न्यायाधिकरण, हमारे विचार में, गैर के आधार पर अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी है

अभिलेख पर सामग्री के लिए न्यायाधिकरण द्वारा मन का अनुप्रयोग। में।

सबसे पहले, न्यायाधिकरण के पास मनोरंजन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और

एक विवाद का निर्णय करें जो इसके दायरे में आता है "जो व्यक्ति हैं

मजदूर नहीं "। कि न्यायाधिकरण के समक्ष अभिलेख पर सामग्री के रूप में

तुलनात्मक चिंताओं के संबंध में स्वीकार्य रूप से "अस्पष्ट" था और

जैसा कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा देखा गया है, अपूर्ण है न्यायालय और इस तरह की सामग्री पर आधारित पुरस्कार नहीं हो सकता था

बनाए रखा गया "।

(जोर दिया गया)

27. दुर्गा दास बसु में "भारत के संविधान पर टिप्पणी"

लीशन, कोई सबूत नहीं की अवधारणा के संबंध में, हम निम्नलिखित पाते हैं

एस. एस. एन.:

> “ कोई सबूत नहीं होने का मतलब केवल कुल कमी नहीं है
>
> सबूत। यह किसी भी मामले में लागू होता है जहां घटना को इस रूप में लिया जाता है।
>
> एक समग्र निष्कर्ष का समर्थन करने में यथोचित रूप से सक्षम नहीं है, या
>
> जहाँ, दूसरे शब्दों में, कोई भी न्यायाधिकरण यथोचित रूप से उस तक नहीं पहुँच सकता था
>
> उस साक्षय पर निष्कर्ष। यह "कोई सबूत नहीं" सिद्धांत स्पष्ट रूप से है। इस सिद्धांत के साथ कुछ समान है जो विकृत या
>
> अनुचित कार्रवाई अनधिकृत और अधिकार से बाहर है। एक आदेश
>
> इसका समर्थन करने के लिए "किसी भी सबूत" के बिना बनाया गया है, वास्तव में बनाया गया है बिना किसी आदेश के "कोई भी सबूत बेकार है, यह है

"कोई सबूत नहीं" अधिकार क्षेत्र होने के बराबर।"

(जोर दिया गया)

28. वास्तव में, निर्णय में आवेदकों द्वारा भरोसा किया गया, अर्थात।, एस.

अनाथन (ऊपर), यह, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार आयोजित किया जाता है:

" 12. आम तौर पर, श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण,

कानूनी साक्षय उच्च न्यायालय या तो के तहत एक शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 226 या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत

श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया तथ्य का प्रश्न।

लेकिन इस तरह के अभ्यास में जाने से पहले यह आवश्यक है कि

रिट अदालत को उन कारणों को दर्ज करना चाहिए जिन पर वह पुनर्विचार करने का इरादा रखती है

तथ्य की खोज। [के क्रम में इस तरह के किसी भी दोष के अभाव में।

, विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा v. श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

श्रम न्यायालय रिट न्यायालय के दायरे में प्रवेश नहीं करेगा

तथ्यात्मक विवाद और उस पर निष्कर्ष दिए गए हैं।

(जोर दिया गया)

29. निर्णयों और सामग्री के संदर्भ में, हम

इस प्रकार है:

प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार क्षेत्र पर्यवेक्षी है।

सबूतों की सराहना करें। सर्टिओरारी के लेखन का उद्देश्य है न्यायक्षेत्र संबंधी ज्यादतियों को सही करें। निषेध का एक रिट जारी किया जाएगा

जब किसी न्यायाधिकरण या प्राधिकरण ने अभी तक अपनी कार्यवाही समाप्त नहीं की है।

एक बार जब कोई निर्णय सर्टिओरारी के लिए उत्तरदायी निकाय द्वारा दिया जाता है

क्षेत्राधिकार, प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है जब एक क्षेत्राधिकार त्रुटि

स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। न्यायक्षेत्र संबंधी त्रुटि विफलता से हो सकती है

अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का पालन करना। यह उत्पन्न हो सकता है

जिसका निर्णय जो हमले के दायरे में आता है, वह संपार्श्विक का फैसला कर सकता है तथ्य जो एक अधिकारिता तथ्य भी है और अधिकारिता ग्रहण करता है।

तथ्य का ऐसा निष्कर्ष हस्तक्षेप करने से अछूता नहीं है सर्टिओरारी का एक लेखन। जहाँ तक तथ्य की खोज की बात है जो एक है

रिट अदालत के लिए सीमाएँ। यही कारण है कि एक शरीर जिसके पास मामले को तय करने का अधिकार क्षेत्र है

इसे सही या गलत तरीके से तय करें। यह केवल एक त्रुटि बन जाएगी और

वह भी तथ्य की त्रुटि है। हालाँकि, सकल यह राशि हो सकती है, यह

यह कानून की त्रुटि नहीं है। कानून की एक त्रुटि जो बन जाती है

सर्टिओरारी के माध्यम से न्यायिक जांच के लिए असुरक्षित भी होना चाहिए

एक जो अभिलेख के चेहरे पर स्पष्ट है। जैसा कि इस द्वारा आयोजित किया गया है

हरि विष्णु कामथ (ऊपर) में न्यायालय, कि क्या एक गठन करता है

रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि, एक निर्णय लिया जाने वाला मामला है

यह कानून की एक त्रुटि होगी जो रिट अदालत को हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाएगी। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि भारी वजन

साक्षय निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है, यह निर्णय देगा

प्रमाणिक अधिकारिता के लिए उत्तरदायी। यह एक के समान होगा

ऐसा निष्कर्ष जो साक्षय द्वारा पूरी तरह से अनुचित है जो [2019] 12 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय ने क्या निर्धारित किया है [एम/एस देखें। पेरी एंड कंपनी लिमिटेड

(ऊपर)]।

अधिनियम की धारा 33 ए के तहत आवेदन

30. आवेदक एन. एम. आर. कार्यकर्ता थे। उन्होंने स्थानांतरित कर दिया

धारा 33 (1) ई अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए श्रम न्यायालय के समक्ष याचिका। अधिनियम की धारा 33 (1) इस प्रकार है:

" 33 (1) किसी सुलह अधिकारी या बोर्ड के समक्ष या किसी मध्यस्थ या श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष किसी सुलह की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान

एक औद्योगिक विवाद के संबंध में, कोई भी नियोक्ता नहीं करेगा

(क) विवाद से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में, ऐसे विवाद में संबंधित श्रमिकों के पूर्वाग्रह के लिए,

उनके लिए तुरंत पहले लागू होने वाली सेवा की शर्तें

ऐसी कार्यवाही का प्रारंभ; या

(ख) विवाद, निर्वहन या दंड से जुड़े किसी भी कदाचार के लिए, चाहे बर्खास्तगी या अन्यथा, ऐसे विवाद में संबंधित किसी भी कर्मचारी के लिए, स्पष्ट अनुमति के अलावा प्राधिकरण का लेखन जिसके समक्ष कार्यवाही की जाती है

लंबित है "।

31. अधिनियम की धारा 33 ए इस प्रकार है:

" 33 ए. कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सेवा की शर्तों आदि में परिवर्तन हुआ या नहीं, इस बारे में निर्णय के लिए विशेष प्रावधान। - जहां कोई नियोक्ता सुलह अधिकारी, बोर्ड के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान धारा 33 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है,

मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण

इस तरह के उल्लंघन से पीड़ित कर्मचारी शिकायत कर सकता है

लिखित रूप में, निर्धारित तरीके से,

(क) ऐसे सुलह अधिकारी या बोर्ड को, और सुलह

अधिकारी या बोर्ड ऐसी शिकायत को ध्यान में रखेगा

ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में मध्यस्थता करना और उनके निपटारे को बढ़ावा देना।

विवाद; और

(ख) ऐसे मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को और ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, जो भी मामला हो,, जी. एम., विद्युत न्यायाधिकरण हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओ. आर. आई. एस. ए. v.

श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

शिकायत पर निर्णय दें जैसे कि यह एक विवाद संदर्भित था

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उसे या उसके समक्ष लंबित होने पर, वह अपना अधिनिर्णय उपयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

सरकार और इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

तदनुसार "।

32. हमने देखा है कि कुछ लाभों की उपलब्धता के संबंध में श्रम न्यायालय के समक्ष एक कार्यवाही की गई थी

एन. एम. आर. कर्मचारी। उसी के लंबित रहने के दौरान आवेदकों ने रोजगार से इनकार करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि संक्षेप में, उन्हें आवेदन जमा करने में धोखा दिया गया जैसे कि उनका इरादा था

वी. एस. एस. का लाभ सुनिश्चित करें जबकि वे खाली कागजों पर अपने हस्ताक्षर करते हैं जो इस तरह के उपयोग को नहीं समझते हैं। 33. इस मामले में, अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि अधिनियम की धारा 33 आकर्षित नहीं होती है क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जहां आवेदक स्वेच्छा से आवेदन करते हैं।

वी. एस. एस. का लाभ लेने के लिए आवेदन किया। उन्हें इसका लाभ दिया गया। अधिनियम की धारा 33 का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

34. आवेदकों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने बहुत निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि यदि यह पाया जाता है कि आवेदन आवेदकों द्वारा किए गए थे

स्वैच्छिक रूप से और उन्होंने वी. एस. एस. के लाभों का दावा किया था, तब धारा 33 लागू नहीं हो सकती है। इसलिए, तय किया जाने वाला मुख्य मुद्दा है,

क्या आवेदन वास्तव में आवेदकों द्वारा दायर किए गए थे जो इसकी सामग्री से अवगत थे और इसके परिणामों से अवगत थे।

आवेदन और कानून का पालन करना

35. अन्य बातों के साथ-साथ यह निम्नलिखित रूप में अनुरोध किया जाता है:

" 6. ओ. जे. सी. No.1527/91 में उड़ीसा के माननीय उच्च न्यायालय ने उन सभी एन. एम. आर. श्रमिकों को नियमित करने का आदेश पारित किया है जिन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है या अन्यथा नियमित प्रतिष्ठानों में अपने काउंटर भाग के रूप में समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान करते हैं।

रेंगली पनबिजली परियोजना में शामिल हो रहे हैं।

36. उन मामलों का संदर्भ है, जो लंबित थे, जिनका हमने अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया है। हमें आगे की दलील पर ध्यान देना चाहिए

अधिनियम की धारा 33 ए के तहत आवेदकों द्वारा दायर आवेदनः

9. कर्मचारियों को उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए धोखा देने के लिए, उपयुक्त अधिकारियों ने उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं

[2019] 12 एस. सी. आर. के नियमितीकरण के बहाने कुछ कागजों पर समझौता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्रमिक और नियमितीकरण का अनुचित प्रभाव दिखाकर

कामगारों की सेवा कि चूंकि परियोजनाएं अस्थायी थीं और उन्हें निगम में नियमित संवर्ग में नियमित किया जाना था,

पुरानी नौकरी खत्म हो जाएगी और निगम में नई नौकरी आ जाएगी।

अधिकार के साथ सादे विश्वास पर आवेदन के निहितार्थ पर हस्ताक्षर किए गए हैं ऐसे अनुप्रयोग। कामगारों के साथ धोखाधड़ी की गई और

इस तरह का परिवर्तन न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सेवा में परिवर्तन के बराबर था, इस तरह से अवैध। परिवर्तन स्वैच्छिक नहीं था, सक्रिय किया जा रहा है

धोखाधड़ी के साथ, प्रबंधन की कार्रवाई धारा 33 का उल्लंघन है

अधिनियम और शून्य में है। विरोधी दलों ने नौकरी देने से इनकार कर दिया

जो छंटनी के बराबर है। यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

अधिनियम की धारा 33।

(जोर दिया गया)

37. जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। अपीलार्थियों द्वारा इनकार किया गया है

उपरोक्त विवादों में से।

38. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश VI नियम 4

(इसके बाद 'सी. पी. सी.' के रूप में संदर्भित, संक्षेप में), निम्नानुसार पढ़ता है:

" उन सभी मामलों में जिनमें पक्ष किसी पर निर्भर करता है

प्रभाव, और अन्य सभी मामलों में जिसमें विवरण हो सकते हैं जिनसे परे आवश्यक है जिनका उदाहरण उपरोक्त रूपों में दिया गया है,

विवरण (यदि आवश्यक हो तो तिथियों और वस्तुओं के साथ) में उल्लिखित किया जाएगा। निवेदन "।

39. इसलिए, एक दीवानी मुकदमे में, यदि वादी धोखाधड़ी का आरोप लगाता है,

गलत निरूपण या अनुचित प्रभाव, वह विवरण देने के लिए बाध्य है। धोखाधड़ी का आरोप गंभीर प्रकृति का मामला है। अनुचित प्रभाव और गलत निरूपण का आरोप भी ऐसा ही है। सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 4 में अंतर्निहित इरादा यह है कि विरोधी पक्ष को उस मामले के बारे में पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए जिससे उसे मिलने के लिए बुलाया जाता है। कानून घृणा करता है, एल. आई. एस. के पक्षों को आश्चर्यचकित किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप न्याय के मूल सिद्धांत का उल्लंघन होता है कि एक पक्ष को उसके खिलाफ स्थापित मामले को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। धोखाधड़ी क्या है? क्या यह गलत निरूपण के समान है?

40. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

' अनुबंध अधिनियम ', संक्षेप में),' धोखाधड़ी 'की परिभाषा इस प्रकार है:

[. , विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा वी. श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 17. ' धोखाधड़ी 'परिभाषित। — ' धोखाधड़ी का अर्थ है और इसमें से कोई भी शामिल है

किसी अन्य पक्ष या उसके अभिकर्ता को धोखा देने के इरादे से, या उसे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए, या उसके अभिकर्ता द्वारा मिलीभुगतः (1) सुझाव, एक तथ्य के रूप में, जो सच नहीं है, एक द्वारा

जो इसे सच नहीं मानता है;

(2) ज्ञान रखने वाले द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना

या तथ्य का विश्वास;

(3)

उसे पूरा करने के किसी भी इरादे के बिना किया गया वादा;

धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्य;

(4)

(5)

ऐसा कोई कार्य या चूक जो कानून विशेष रूप से घोषित करता है

धोखेबाज बनें। स्पष्टीकरण। — किसी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में केवल मौन रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी न हों कि उनके बारे में बात करने के लिए चुप रहना व्यक्ति का कर्तव्य है।

स्वयं, भाषण के बराबर।

स्पष्टीकरण। - अनुबंध में प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में केवल मौन रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी न हों कि उनके लिए बाध्य होने के कारण, यह चुप रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह बोले, या जब तक कि उसका मौन अपने आप में भाषण के बराबर न हो।

41. " कैक्ट अधिनियम की धारा 18 में "गलत प्रतिनिधित्व" को अलग से परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः

" 18. " गलत निरूपण "परिभाषित। - " गलत प्रस्तुति "का अर्थ है

और इसमें शामिल हैं

(1)

सकारात्मक अभिकथन, एक तरीके से जिसके द्वारा वारंट नहीं किया गया है

इसे बनाने वाले व्यक्ति की जानकारी, जो नहीं है

सच है, हालांकि वह इसे सच मानता है;

(2)

कर्तव्य का कोई भी उल्लंघन जो धोखा देने के इरादे के बिना लाभ प्राप्त करता है।

ऐसा करने वाले व्यक्ति या उसके अधीन होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपने पूर्वाग्रह के लिए दूसरे को गुमराह करने का लाभ,

या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए; [2019] 12 एस. सी. आर.

(3) चाहे वह कितना भी निर्दोष क्यों न हो, किसी समझौते के पक्षकार को

उस चीज़ के सार के बारे में गलती करें जो है

समझौते का विषय।

42. अनुबंध अधिनियम की धारा 19 में घोषणा की गई है कि जब लालच के लिए सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत तरीके से प्रस्तुत करने के कारण होती है, तो उस व्यक्ति के विकल्प पर आदेश अमान्य हो जाता है जिसकी सहमति इस तरह से संपादित की गई थी। धारा 19 में अपवाद इस प्रकार है:

" अपवाद-यदि ऐसी सहमति गलत तरीके से प्रस्तुत करने या मौन रहने के कारण, धारा 17 के अर्थ के भीतर धोखाधड़ी के कारण हुई थी, तो अनुबंध, फिर भी, अमान्य नहीं है, यदि जिस पक्ष की सहमति इस तरह से दी गई थी, उसके पास सच्चाई का पता लगाने का साधन था।

सामान्य परिश्रम "।

43. " अनुचित प्रभाव को धारा 16 के तहत अलग से परिभाषित किया गया है।

अनट्रैक्ट अधिनियम, जो इस प्रकार है:

" 16. ' अनुचित प्रभाव 'परिभाषित'। — (1) एक अनुबंध कहा जाता है

'अनुचित प्रभाव' से प्रेरित जहां संबंध बने हुए हैं

दलों के बीच ऐसे होते हैं कि एक पक्ष दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में होता है और उस स्थिति का उपयोग प्राप्त करने के लिए करता है

(2) विशेष रूप से और इसकी व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पूर्वगामी सिद्धांत, एक व्यक्ति को इस स्थिति में माना जाता है कि

दूसरे की इच्छा पर हावी हो जाओ

((क) जहाँ वह दूसरे पर वास्तविक या प्रत्यक्ष अधिकार रखता है, या जहाँ वह दूसरे के साथ प्रत्ययी संबंध में खड़ा है; या

(ख) जहाँ वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है जिसकी मानसिक क्षमता उम्र, बीमारी या मानसिक या शारीरिक संकट के कारण अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से प्रभावित होती है।

(3) जहाँ एक व्यक्ति जो इच्छा पर हावी होने की स्थिति में है

दूसरा, उसके साथ एक अनुबंध में प्रवेश करता है, और लेनदेन

यह साबित करने का बोझ कि ऐसा अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित नहीं था, किसी पद पर बैठे व्यक्ति पर होगा। दूसरे की इच्छा पर हावी होना।

जी. एम., विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा बनाम। श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

उप-धारा की कोई भी बात भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 111 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

44. अनुबंध अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित "धोखाधड़ी" शब्द की परिभाषा के अवलोकन से पता चलेगा कि धोखाधड़ी की अवधारणा है -

बहुत व्यापक। इसमें, एक तथ्य के रूप में, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी सुझाव शामिल है जो इसे सच मानता है या नहीं मानता है। इसकी तुलना अनुबंध अधिनियम की धारा 18 (1) से की जा सकती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ इसे परिभाषित करती है। " गलत निरूपण "। यह प्रावधान करता है कि यह गलत निरूपण है यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक सकारात्मक दावा किया जाता है जो इस तरह से सच नहीं है जो उसके पास मौजूद जानकारी द्वारा समर्थित नहीं है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि वह इसे सच मान सकता है। दूसरे शब्दों में, धोखाधड़ी में, जो व्यक्ति असत्य सुझाव देता है, वह स्वयं उस पर विश्वास नहीं करता है।

सच होना। वह जानता है कि यह सच नहीं है, फिर भी वह इस तथ्य का सुझाव देता है जैसे कि यह सच था। दूसरी ओर, गलत प्रस्तुतिकरण में, गलत प्रस्तुतिकरण करने वाला व्यक्ति इसे सच मानता है। लेकिन कानून इसे उनके पास मौजूद जानकारी के आधार पर गलत तरीके से प्रस्तुत करने की घोषणा करता है और जिसे वह सच मानता था वह सच नहीं था। इसलिए, उनके द्वारा किया गया अभ्यावेदन एक गलत निरूपण बन जाता है क्योंकि यह एक ऐसा कथन है जो असत्य पाया जाता है। धोखाधड़ी तब की जाती है जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से किसी तथ्य को छुपाता है, जो या तो तथ्य के बारे में जानता है या तथ्य के अस्तित्व में विश्वास करता है। छिपाना सक्रिय होना चाहिए। यह यहाँ है कि अपवाद में केवल मौन की व्याख्या की गई है जो एक के निर्णय को प्रभावित करेगा

वह व्यक्ति जो धोखाधड़ी न करने के लिए अनुबंध करता है, जब तक कि परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि बोलना उसका कर्तव्य बन जाए। उनकी खामोशी अपने आप में भाषण के बराबर हो सकती है। एक व्यक्ति उसे पूरा करने का कोई इरादा किए बिना एक वादा कर सकता है। यह धोखाधड़ी है। कानून आगे घोषणा करता है कि धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई भी अन्य कार्य धोखाधड़ी है। इसी तरह, कोई भी कार्य या चूक, जिसे कानून धोखाधड़ी घोषित करता है, धोखाधड़ी के बराबर है। हालाँकि एक सुनहरे रुझान के रूप में और अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के विभिन्न अंगों के माध्यम से कानून की आवश्यकता के रूप में चलना छल का तत्व है। एक व्यक्ति जिस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है, चाहे वह दीवानी या आपराधिक कार्रवाई में हो, उसे धोखाधड़ी करने का इरादा रखना चाहिए। धोखे में विभिन्न रूप शामिल हो सकते हैं और यह एक

प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाना है। यह, जाहिरा तौर पर, इन गंभीर परिस्थितियों के कारण है कि धोखाधड़ी का कानूनी संबंध या एक कथित कानूनी संबंध है जो धोखाधड़ी का विवरण और विवरण है यदि किसी दीवानी मुकदमे या उस कार्यवाही में अनुरोध किया जाता है जिस पर सी. पी. सी. लागू होता है तो इसकी आवश्यकता होती है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

45. हम यहाँ एक दीवानी मुकदमे से संबंधित नहीं हैं। आवेदन में

अधिनियम की धारा 33 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 11 (1) से

अधिनियम, निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

" 11. सुलह अधिकारियों, बोर्डों, न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ

और न्यायाधिकरण। - (1) इसमें बनाए जाने वाले किसी भी नियम के अधीन

पक्ष से, एक मध्यस्थ, एक बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जैसे मध्यस्थ या

अन्य संबंधित प्राधिकारी उचित समझ सकते हैं। (2) सुलह अधिकारी या बोर्ड का सदस्य, 4 या न्यायालय या

श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायालय का पीठासीन अधिकारी

न्यायाधिकरण किसी मौजूदा या मामले की जांच के उद्देश्य से हो सकता है। औद्योगिक विवाद, उचित सूचना देने के बाद, दर्ज करें

किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा कब्जा किया गया परिसर जिस पर विवाद है संबंधित है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन न्यायालय, जब निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक मुकदमे का प्रयास करना, अर्थात्:

(अ)

किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करना और जाँच करना उसे शपथ पर;

(ख) दस्तावेजों और सामग्री के उत्पादन को मजबूर करना।

वस्तुएँ;

(ग) गवाहों की जाँच के लिए आयोग जारी करना;

(घ) ऐसे अन्य मामलों के संबंध में जो निर्धारित किए जाएं;

और बोर्ड द्वारा की जाने वाली प्रत्येक जाँच या जाँच,

न्यायालय, 2 श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण],

अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी

भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 (भारतीय दंड संहिता की धारा 45)

1860) . "

(जोर दिया गया)

46. अधिनियम की धारा 33 ए के तहत एक आवेदन एक दीवानी मुकदमा नहीं है।

सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 4 के प्रावधान, इस प्रकार, लागू नहीं हैं।

अधिनियम के तहत कार्यवाही। क्या इसका यह अर्थ है कि अभिवचनों के बारे में कानून अधिनियम के तहत कार्यवाही पर बिल्कुल भी लागू होता है या यह अधिक होगा?

यह कहने के लिए कि अभिवचनों के बारे में कानून लागू होगा लेकिन इसके पूर्ण जी. एम., विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरीसा वी. श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.] के बिना।

ओजस्वी। हम सोचेंगे कि बाद वाला कानून में सही स्थिति होगी। जबकि सी. पी. सी. के प्रावधान हितकारी सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकते हैं।

मूर्त रूप लागू होगा। यह इस कारण से है कि अभिवचन का उद्देश्य, चाहे वह दीवानी मुकदमे में हो या अन्य कार्यवाही में, विरोधी पक्ष को अपने प्रतिद्वंद्वी के मामले का सामना करने की अनुमति देना है ताकि साक्षय तैयार किया जा सके और अपने मामले के समर्थन में कानून का संचालन किया जा सके।

47. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में बनाम। कर्मचारी और

अन्य, मामला उसके अधिनियम की धारा 25-एफ. एफ. एफ. के तहत उत्पन्न हुआ और प्रावधान के तहत जारी किए गए नोटिस को सशर्त होने के रूप में आरोपित किया गया। याचिका की अस्पष्टता के बारे में विवाद के संबंध में इस न्यायालय ने यही पाया है:

" 13. हमारे विचार में, श्री सीतलवाड़ पूरी तरह से उचित थे

प्रस्तुत करते हुए कि प्रबंधन आश्चर्यचकित हो गया था और

कि न्यायाधिकरण में सामान्य आधार रखने में त्रुटि थी

की दुर्बलता के विशिष्ट अनुरोध को कवर करने के लिए लिखित बयान

इसके सशर्त होने के कारण नोटिस करें। वैधानिक की याचिका

नोटिस में दोष, हमारी राय में, उचित होना चाहिए था

विशिष्ट और सटीक ताकि अपीलार्थी इसे पूरा कर सके। द.

सामान्य याचिका अपीलार्थी को पेश करने के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकी मुकदमे में मिलने वाले सटीक मामले के बारे में सावधान रहें और बताएँ कि

के संबंध में याचिका की सटीक प्रकृति का प्रबंधन नोटिस में दोष, ताकि वे इसे पूरा कर सकें। .....

" "

48. भारत आयरन वर्क्स में v. भागूभाई बालुभाई पटेल ', फिर से ए

उत्पीड़न और अधिनियम की धारा 33 को लागू किया। इस न्यायालय के अलावा यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अधिनियम की धारा 33 के तहत अनुमति देने या रोकने वाला न्यायाधिकरण अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, अभिवचन के संबंध में निम्नलिखित सावधानी के शब्दों का प्रशासन करता है:

" 9. सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शिकार होना गंभीर है।

एक कर्मचारी द्वारा एक नियोक्ता के खिलाफ आरोप, और इसलिए, यह सभी विवरण देते हुए उचित और पर्याप्त रूप से अनुरोध किया जाना चाहिए

जिस पर प्रभार नियोक्ता को पूरी तरह से सक्षम करने के लिए आधारित है

उनसे मिलें। आरोप अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह यह तथ्यों के साथ-साथ निष्कर्षों और दृष्टिकोण का एक मिश्रण है। द.

8 ए. आई. आर 1973 एस. सी 878

ाणी 1976 एससी 98 [2019] 12 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तथ्य यह है कि एक संघ है जो कर्मचारियों के कारण का समर्थन करता है

विभिन्न विवादास्पद दावे और मुद्दे।
10. पीड़ित करने की याचिका स्थापित करने की जिम्मेदारी उसका अनुरोध करने वाले व्यक्ति पर होगी। चूँकि पीड़ित होने का आरोप एक है

कुछ हद तक नियोक्ता के व्यक्तिपरक रवैये को प्रतिबिंबित करने वाले गंभीर मामले, जो कृत्यों और आचरण से प्रमाणित होते हैं, उन्हें सुरक्षित और निश्चित साक्षय द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। केवल आरोप, अस्पष्ट

सुझाव और आक्षेप पर्याप्त नहीं हैं। सामने लाए गए आरोप के सभी विवरण, यदि विश्वास किया जाए, तो न्यायाधिकरण द्वारा तौला जाना चाहिए और साक्षय की समग्रता पर एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।

उत्पादित "।

49. सहमति पर आधारित एक मामले के संबंध में, मद्रास उच्च न्यायालय ने भी विशिष्ट याचिका की आवश्यकता के बारे में बात की है [देखें (1991), श्रम और औद्योगिक मामले, पृष्ठ 40]।

50. हमारे मामले के तथ्यों पर कानून के सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम सोचेंगे कि धोखाधड़ी के संबंध में पर्याप्त अभिवचन नहीं है। द. अनुचित प्रभाव का आरोप अभिवचन में पूरी तरह से बिना किसी आधार के है।

51. वी. एस. एस., यदि किसी कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से लिया जाता है, तो अनुबंध के बराबर होता है। यह न्यायालय, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम। ओ. पी. स्वर्णकार

और अन्य 0, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के मामले से निपट रहे थे

बैंक द्वारा तैराया गया। एक सवाल उठा कि क्या यह योजना एक प्रस्ताव था या इलाज के लिए निमंत्रण था। योजना पर विस्तृत विचार करने के बाद, न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बैंक ने आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है, यह योजना विचार करने के लिए एक निमंत्रण था। द्वारा किया गया आवेदन

10 (2003) 2 एस. सी. सी. 721 जी. एम., विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा बनाम। श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

कर्मचारी के लिए एक प्रस्ताव था और एक अनुबंध केवल तभी सामने आया जब

बैंक द्वारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया। यह केवल तब था जब प्रस्ताव

कर्मचारी को स्वीकार कर लिया गया, यह एक लागू करने योग्य अनुबंध बन गया, यह आयोजित किया गया। यह पहलू इस तथ्य के आलोक में महत्वपूर्ण है कि अनुबंध अधिनियम में परिभाषित धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव और गलत तरीके से प्रस्तुत करने की अवधारणा योजना के संदर्भ में उपयुक्त होगी।

लागू करने योग्य अनुबंध।

श्रम न्यायालय से पहले का प्रमाण

52. अब उस सामग्री को देखने का समय आ गया है जिसे पक्षों द्वारा श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। की तरफ सेआवेदकों, संख्या में 90,4 गवाहों से पूछताछ की गई। पहला गवाह गिरिधारी साहू है-पहला आवेदक। वह अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहता है:

वह आवेदकों में से एक हैं। 89 अन्य आवेदन हैं।

उसी राहत के लिए प्रार्थना करते हुए। वह काम कर रहा था

रखरखाव प्रभाग। अन्य अन्य प्रभागों में काम कर रहे थे।

ओ 03.06.1988 सँ काज कऽ रहल छलाह। उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया गया।

पूरा करने वाले एन. एम. आर. के नियमितीकरण को विनियमित करना पाँच साल की सेवा। निगम के गठन के बाद,

अपीलकर्ताओं ने योजना की शुरुआत की। ए. डब्ल्यू. 1 और अन्य आवेदकों को यह समझने के लिए दिया गया था कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा और

वी. एस. एस. रूप में लिए गए हस्ताक्षर। बैठक में संघ में वी. एस. एस. के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। गवाह और अन्य आवेदकों के हस्ताक्षर अपीलार्थियों द्वारा जबरन लिए गए थे

एक धारणा कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा। उन्होंने विरोध किया।

सेवा की शर्तों में बदलाव किया गया था। जिरह में, ए. डब्ल्यू. 1 ने कहा कि जब तक वह सेवा में शामिल हुए, तब तक उन्हें कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। 327 ए. डब्ल्यू. 1 सहित व्यक्ति उनके कार्यकाल के दौरान काम कर रहे थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अन्य आवेदकों के साथ योजना में हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि यह एक नहीं है तथ्य यह है कि उन्होंने अपनी योजना में आवेदन दिया था

बिना किसी मजबूरी या बल के। अन्य आवेदकों का भी यही हाल है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. डब्ल्यू. 2 एक चिरतामणि पात्र है। वह 04.05.1987 से शामिल हुए और 13.06.2000 तक उन्होंने लगातार काम किया। याचिकाकर्ताओं ने दिया

उन्हें यह आभास होता है कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा और पहली बार में, उनके हस्ताक्षर एक खाली कागज पर लिए गए थे और

बाद में एक रूप में। इसके बाद, वह जान सकता था कि रूप

वी. एस. एस. के लिए था। वी. एस. एस. प्रपत्र में हस्ताक्षर करने से पहले, वी. एस. एस. के संबंध में कोई सूचना या कोई सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने वी. एस. एस. आवेदन पत्र में अपने हस्ताक्षर लेने के संबंध में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था। संभागीय स्तर पर हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे। जिरह में, उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि उस समय 300 से अधिक लोग एन. एम. आर. के रूप में कार्यरत थे। इनकार करने से पहले उन्हें वीएसएस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

रोजगार। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वीएसएस पर्याप्त रूप से प्रकाशित हुआ था और उन्होंने वीएसएस के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह तथ्य नहीं है कि आवेदकों के हस्ताक्षर जबरन या धोखाधड़ी से नहीं लिए गए थे। वह स्वीकार करता है कि उसे अनुग्रह राशि के रूप में पनबिजली भत्ता और चिकित्सा भत्ता के रूप में 5,500 रुपये प्राप्त हुए हैं।

उनके हस्ताक्षर लेने से पहले। वी. एस. एस. किसी भी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं हुआ था। जिरह में, वह, अन्य बातों के साथ, कहता है कि यह तथ्य नहीं है कि उसने अन्य आवेदकों के साथ हस्ताक्षर किए थे। परिणाम जानने के लिए वी. एस. एस. फॉर्म। वह आगे भी प्रमुख के मामले में अपने पक्ष में खड़ा है।

AW4 06.03.1984 पर जुड़ गया। उन्हें दूसरों के साथ 14.06.2000 पर नौकरी देने से मना कर दिया गया था। उनके हस्ताक्षर में लिया गया था

आवेदन और तीन से चार खाली कागज। उन्हें यह समझने के लिए कहा गया था कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा। इसके बाद, उन्हें आवेदन के बारे में पता चला कि उन्होंने जिस आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे वह एक वीएसएस फॉर्म था। वह जिरह में कहता है कि जहाँ तक उसकी जानकारी है, वी. एस. एस. नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित नहीं किया गया था। वह आगे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि प्रबंधन द्वारा किसी संघ के साथ कोई समझौता किया गया था या नहीं। कार्यकारी अभियंता और एच. आर. डी. और अन्य लोगों ने उन्हें और अन्य लोगों को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने [...]

, विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा v. श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

संबंधित मुख्य अभियंता को सूचित नहीं किया। आवेदन में

जिस पर उनके हस्ताक्षर लिए गए थे, वह दिनांकित 31.05.2000 था। इसके लगभग 15 दिन बाद, उन्हें बैंक ड्राफ्ट में राशि मिल गई। आई. डी. 1 के लगभग 3 से 4 दिन बाद, उन्होंने आपत्ति जताई और वी. एस. एस. के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के बाद, उन्हें पैसे मिले प्रबंधन।

(जोर दिया गया)

अपीलार्थियों के लिए प्रमाण

मौखिक प्रमाण 53. ओ. पी. डब्ल्यू. 1, प्रबंधन गवाह संख्या 1, इस प्रकार बताएगाः

336 एन. एम. आर. में से 256 एन. एम. आर. ने वी. एस. एस. को स्वीकार किया। द.

प्रबंधन ने न तो कर्मचारियों को बर्खास्त किया है और न ही उन्हें हटाया है। आवेदकों ने स्वेच्छा से वी. एस. एस. स्वीकार करके खुद को अलग कर लिया। प्रदर्शनी 'ए' को अनुशंसा समिति का गठन करने वाली अधिसूचना दिनांक 27.04.2000 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रदर्शनी 'बी श्रृंखला' को अनुप्रयोग के रूप में चिह्नित किया गया था। प्रदर्शनी 'सी श्रृंखला' आवेदनों की स्वीकृति है। प्रदर्शित करें 'डी' आदेश है ए. जी. एम., एच. आर. डी. श्री ए. के. मित्रा को आवेदन स्वीकार करने के लिए अधिकृत करना। प्रदर्शित 'ई श्रृंखला' भुगतान पत्रक हैं जो भुगतान को दर्शाते हैं।

उनके कानूनी बकाया और खाते में अनुग्रह राशि पाने वाले का चेक। प्रदर्शनी 'सी श्रृंखला' को आपत्ति के साथ चिह्नित किया गया है। इंद्रावती में कहा गया है कि प्रबंधन ने वीएसएस को लागू किया और दिसंबर, 1999 में 690 व्यक्तियों को वीएसएस दिया गया। प्रदर्शनी 'ए/आई' एक अधिसूचना है जो वीएसएस को 24.06.2000 तक बढ़ाती है। प्रदर्शनी 'ए/II' वी. एस. एस. को 01.03.2001 तक बढ़ाने वाली अधिसूचना है। चर्चा की गई

लागू करने से पहले रेंगली बिजली परियोजना श्रमिक संघ

10.04.2000 और 14/15.04.2000 पर वीएसएस। राष्ट्रपति ने एन. एम. आर. कर्मचारियों के लिए वी. आर. एस. सहित प्रदर्शनी 'एफ' के माध्यम से चर्चा का एजेंडा दिया था। अंत में, प्रदर्शनी 'जी' (आपत्ति के साथ चिह्नित) के अनुसार 20.05.2000 पर चर्चा आयोजित की गई। संघ कार्यान्वयन से पहले वी. एस. एस. के कार्यान्वयन से अवगत था। द.

गवाहों ने प्रदर्शनी 'ई श्रृंखला' में हस्ताक्षर किए हैं। 'एच' प्रदर्शित करना निगम कार्यालय द्वारा जारी किया गया दिशानिर्देश है। यह सुझाव दिया गया है कि आवेदकों के हस्ताक्षर जबरन लिए गए हैं

मना कर दिया। आवेदकों को अनुग्रह राशि के रूप में 5,500/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

बढ़े हुए चिकित्सा भत्ता और जल भत्ता के लिए।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिरह में, गवाह अन्य बातों के साथ-साथ बताएगा,

जहाँ तक एन. एम. आर. कर्मचारियों का संबंध है, कार्यकारी अभियंता नियुक्ति प्राधिकरण है। वी. एस. एस. को पेश किया गया था राज्य में निगम की सभी इकाइयाँ। इस योजना को सरकार या निगम द्वारा राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया था।

वी. एस. एस. या वी. आर. एस. को लागू करने के लिए आवेदकों की ओर से कोई अनुरोध नहीं था और न ही वी. एस. एस. को लागू करके एन. एम. आर. की संख्या को कम करने के लिए रेंगली प्रमुख की ओर से कोई प्रस्ताव था। अतिरिक्त श्रमशक्ति को कम करने के लिए वी. एस. एस. की शुरुआत की गई थी। यह योजना आम जनता के लिए किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की गई थी। गवाह कहता है कि वह आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। उन्होंने यह नहीं बताया कि किस आवेदक को कितना वेतन दिया गया था। वह आवेदन और स्वीकृति पत्र का उल्लेख किए बिना नहीं कह सकता है,

प्रदर्शनी बी श्रृंखला में आवेदकों के लिए प्रपत्र। वह इस बात से इनकार करते हैं कि आवेदकों के हस्ताक्षर जबरन प्राप्त किए गए थे। ओ. पी. डब्ल्यू. 2-प्रबंधन गवाह संख्या 2, एक प्रभाग का प्रबंधक है। वह 16.04.2002 पर प्रबंधक के रूप में शामिल हुए। इससे पहले वे निगम में उप प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे। जब वे एस. डी. ओ. के रूप में काम कर रहे थे, तब 63 एन. एम. आर. उनके अधीन काम कर रहे थे। जहाँ तक उनकी जानकारी है, अब 21 एन. एम. आर. अपीलार्थियों के अधीन काम कर रहे थे। अन्य 42 व्यक्तियों ने वी. एस. एस. प्राप्त करके खुद को अलग कर लिया है। उस समय तक वी. एस. एस. की शुरुआत हो चुकी थी। योजना का उद्देश्य व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। आवेदक ने कागज पर हस्ताक्षर करने के बाद वी. एस. एस. के लिए आवेदन पत्र लिया।

वह कहते हैं कि यह गलत है कि हस्ताक्षर लिए गए थे

जबरदस्ती।

प्रतिपरीक्षा में वे इस प्रकार कहते हैं:

वह वर्ष 1999 में रेंगली आए थे। उनका कोई व्यक्तिगत नहीं है।

42 आवेदकों के साथ परिचय। वह यह नहीं कह सकते कि क्या कोई उच्च [।

, विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा वी. श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

स्तर की चर्चा हुई या नहीं। जानकारी दी गई है।

सभी एन. एम. आर. अंग्रेजी से परिचित नहीं थे। अधिसूचना उड़िया में प्रकाशित नहीं हुआ था। वीएसएस की शर्त को शामिल किया गया था

आवेदन पत्र में और आवेदक और अन्य एन. एम. आर. थे

योजना को उनकी जानकारी के लिए अलग से नहीं दिया गया है। वर्तमान में,

वह यह नहीं कह सकता कि किस तारीख से आवेदकों को प्राप्त होना शुरू हुआ

आवेदन पत्र। उन्होंने आवेदन दाखिल करने में आवेदकों की सहायता नहीं की है

आवेदन पत्र। वह उन गवाहों की पहचान कर सकता है जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं

आवेदकों का आवेदन पत्र। फिर, वह कहता है, वह नहीं कह सकता

सहदेव राउत कौन हैं, उन्होंने किस हैसियत से हस्ताक्षर किए थे। इसके नीचे

गवाहों के हस्ताक्षर, उनके पदनाम और तिथि नहीं है

दिया गया है। उन्हें मामले के लंबित होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है उच्चतम न्यायालय में। उन्हें वापसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

AW1 द्वारा आवेदन। वे कहते हैं, यह तथ्य नहीं है कि आवेदकों के हस्ताक्षर जबरन छाप देते हुए लिए गए थे

कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा।

(जोर दिया गया)

दस्तावेजी प्रमाण

54. दस्तावेजी साक्षय, जो द्वारा प्रस्तुत किया गया है

कैन्ट, इस प्रकार है:

. ओ. ई. आर. (उपक्रम, परिसंपत्तियों, देनदारियों का हस्तांतरण,

कार्यवाही और कार्मिक) योजना नियम, 1996;

. ओ. जे. सी. सं. 2420 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश

1989 , जिसे हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं;

. पहले आवेदक द्वारा दिनांक 01.06.2000 पर लिखा गया पत्र, जो

हम पहले ही निकाल चुके हैं;

. परिवर्तन के संबंध में राजपत्र अधिसूचना दिनांक 01.04.1996

सरकार की तरफ से।

55. जहाँ तक अपीलार्थियों के दस्तावेजी साक्षय का संबंध है,

वे इस प्रकार हैं:

प्रदर्शित 'ए' अधिसूचना दिनांकित 27.04.2000 है जो

समिति की सिफारिश करना। इसमें योजना भी शामिल है।

प्रदर्शित करें 'ए/आई' अधिसूचना दिनांकित 17.06.2000 है जो दर्शाती है कि

वी. एस. एस. <आई. डी1> [2019] 12 एस. सी. आर. से छह दिनों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24.06.2000 तक। प्रदर्शित 'ए/II' अधिसूचना दिनांक 28.01.2001 है जो दर्शाती है कि वीएसएस को 30.01.2001 से 01.03.2001 तक एक महीने की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। 'बी सीरीज' आवेदकों द्वारा किए गए आवेदनों को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शनी 'सी' वी. एस. एस. आवेदन की स्वीकृति है जिसे आपत्ति के साथ चिह्नित किया गया है। प्रदर्शनी 'डी' ए. जी. एम. को आवेदन स्वीकार करने के लिए अधिकृत करने वाला आदेश है। प्रदर्शित 'ई श्रृंखला' भुगतान पत्रक हैं जो भुगतान को दर्शाते हैं

कानूनी देय राशि और खाते में देय चेक में अनुग्रह राशि। एन. एम. आर. द्वारा वी. आर. एस. की बढ़ी हुई राशि के बारे में चर्चा करने के लिए संघ के अध्यक्ष द्वारा दिनांकित 'एफ' को प्रदर्शित करें।

कर्मचारी। 'जी' को कार्यवृत्त के रूप में प्रदर्शित करें

20.05.2000 (आपत्ति के साथ चिह्नित)। 'एच' को फिर से 27.04.2000 दिनांकित पत्र में प्रदर्शित करें जिसमें योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए बिंदु शामिल हैं। एन. एम. आर. कर्मचारियों, उप-मंडल II के वी. एस. एस. की स्वीकृति के रूप में 'जे' को प्रदर्शित करें। 'के' को दिनांकित 13.06.2000 कार्यालय आदेश के रूप में प्रदर्शित करें आवेदकों को राहत देना।

श्रम न्यायालय के निष्कर्ष

56. श्रम न्यायालय ने पाया कि अधिनियम की धारा के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य है। यह इस आधार पर है कि अगर सही मायने में वी. एस. एस. होता तो कोई अवैधता नहीं होती। यह 1 है कि आवेदकों ने योजना को अवैध बताते हुए चुनौती दी है और गलत तरीके से प्रस्तुत करके धन प्राप्त किया गया है। उस आधार पर, यह मैं था कि आवेदन बनाए रखने योग्य था। इसके बाद, श्रम न्यायालय ने साक्षय के माध्यम से निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए:

" 9. मैंने दोनों तरफ से जांचे गए गवाहों के साक्षय के साथ-साथ प्रदर्शित दस्तावेजों को भी देखा है। शिकायतकर्ताओं की ओर से कोई मांग नहीं की गई थी और न ही अधिकारियों की ओर से स्वैच्छिक पृथक्करण योजना या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव था। इसी तरह एसडीओ और ओएचपीसी के कार्यकारी अभियंता ने कभी भी कर्मचारियों की संख्या कम करने की सिफारिश नहीं की है। मान लीजिए कि स्वैच्छिक पृथक्करण योजना एन. एम. आर. की जानकारी के लिए व्यापक रूप से प्रकाशित नहीं की गई थी और इसलिए यह निर्यात नहीं किया जा सकता है कि

एन. एम. आर. ने स्वैच्छिक पृथक्करण योजना आवेदनों पर हस्ताक्षर किए

इसकी विषय-वस्तु और परिणामों को जानना।

Ext.3 के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि ए. डब्ल्यू. 1 ने हालांकि स्वैच्छिक जी. एम., विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा वी. श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.] के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

पृथक्करण योजना या तो दबाव में या गलत धारणा के तहत उन्होंने इसे 1.6.2000 पर वापस ले लिया है, लेकिन श्री साहू का आवेदन वापस नहीं किया गया और उन्हें स्वैच्छिक पृथक्करण योजना दी गई। इसलिए मेरा विचार है कि

स्वैच्छिक पृथक्करण योजना का विकल्प नहीं था

शिकायतकर्ता लेकिन यह शिकायतकर्ताओं पर थोपा गया था और इसलिए

स्वैच्छिक की आड़ में रोजगार से इनकार करने के बराबर

पृथक्करण योजना।

10. ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, स्वैच्छिक को लागू करने में प्रबंधन विरोधी पक्षों की कार्रवाई

जबरन या गलत तरीके से अलग करने की योजना अवैध और अनुचित है। शिकायतकर्ता सेवा में बहाल होने के हकदार हैं और स्वैच्छिक पृथक्करण योजना लागू होने की तारीख से सेवा में बने हुए माने जाते हैं। प्रबंधन विरोधी पक्षों ने शिकायतकर्ताओं को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के तहत लाभ के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान किया है। द. शिकायतकर्ता 70 प्रतिशत (सत्तर प्रतिशत) वेतन वापस पाने के पात्र होंगे और प्रबंधन द्वारा शिकायतकर्ताओं को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना लाभ के लिए पहले से ही भुगतान की गई राशि को समायोजित किया जाएगा। पुरस्कार इसके विपरीत द्वारा लागू किया जाएगा।

इसके लिए अधिसूचना की तारीख से एक महीने के भीतर पक्षकार

प्रकाशन "।

57. निष्कर्षों का सार पैराग्राफ-9 (ऊपर निकाला गया) में निहित है। यह पाया गया है कि कोई मांग नहीं की गई थी

आवेदक। पेश करने के लिए अधिकारियों की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं था

योजना। एसडीओ और निगम के कार्यकारी अभियंता ने कभी भी कर्मचारियों की संख्या कम करने की सिफारिश नहीं की। मान लीजिए, यह योजना एन. एम. आर. की जानकारी के लिए व्यापक रूप से प्रकाशित नहीं की गई थी। संदर्भ है

AW1 द्वारा किए गए आवेदन में बनाया गया, जिसे हमने निकाला है। इस निष्कर्ष पर, श्रम न्यायालय ने पाया कि यह योजना आवेदकों की पसंद नहीं थी, बल्कि यह आवेदकों पर थोपी गई थी। यह योजना की आड़ में रोजगार से इनकार करने के बराबर था। इसके आधार पर राहत दी गई। राहत में सेवा में बहाली का

निर्देश देना शामिल था और आवेदकों को योजना लागू होने की तारीख से लगातार सेवा में काम करना माना जाता था। यह देखते हुए कि आवेदकों को कुछ राशि का भुगतान किया गया था और यह निर्देश देते हुए कि आवेदकों को पिछले वेतन का 70 प्रतिशत मिलेगा, राशि को समायोजित करने का निर्देश दिया गया था।

9] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

58. एक विकास पर ध्यान देना आवश्यक हो सकता है जिसने

उच्च न्यायालय में स्थान। उच्च न्यायालय में जब अधिनियम की धारा 17 बी के तहत आवेदन किया गया था, तो आवेदकों को जमा करने का निर्देश दिया गया था

वह राशि जो उन्हें प्राप्त हुई। 28 आवेदकों ने योजना के तहत प्राप्त राशि जमा कर दी। यह विवादित नहीं है कि उक्त राशि अपीलार्थियों के पास है।

ओ. जे. सी. में न्यायाधीश नं. 2420

59. सबसे पहले, हमें उच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान देना चाहिए

उड़ीसा का न्यायालय 1989 के ओ. जे. सी. सं. 2420 में प्रस्तुत किया गया। उसी में, न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:

" याचिकाकर्ता बड़ी संख्या में N.M.Rs का प्रतिनिधित्व करता है।

जो रेंगली पनबिजली परियोजना में कार्यरत थे और

परियोजनाओं की तरह। वर्तमान में, वे ऊर्जा विभाग के अधीन हैं

उड़ीसा सरकार। याचिकाकर्ता संघ की प्रार्थना है कि

विरोधी पक्षों को एन. एम. आर. की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दें।

कर्मचारियों को और उन्हें नियमित वेतन के बराबर वेतन देना।

समान प्रकृति के कार्य करने वाले कर्मचारी।

हमें कानूनी आधार को पार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वही है

सदस्यों में से किसके बारे में उन्हें उपलब्ध कोई अन्य दस्तावेज याचिकाकर्ता का-संघ ने लगातार पांच साल पूरे कर लिए हैं

आज तक सेवा। यहाँ यह बताया जा सकता है कि अनुलग्नक-7 में,

विवरण लगभग 281 (हालांकि अंतिम क्रम संख्या) दिया गया है।

अनुलग्नक-7 में 280 है, श्री दास कहते हैं कि क्र. सं. नं. 114 था

गलती से दो बार उल्लिखित) व्यक्ति। विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए 85 श्रमिकों का विवरण-संघ जो

विभिन्न प्रभागों में स्थानांतरित नहीं किया जा सका है

अदालत में उपलब्ध। ..... ”

(जोर दिया गया)

60. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत ने उन्हें दिए जाने वाले वेतन पर विचार किया।

एन. एम. आर. कर्मचारी।

अदालत ने आगे कहा कि "कोई कारण नहीं था कि जी. एम., विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा वी. श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

एन. एम. आर. कर्मचारियों के साथ अन्य नियमित कर्मचारियों से भेदभाव करने के लिए

व्यक्तियों "।

1993 का सिविल आवेदन NOS.7342-7343 में निर्णय

61. दीवानी अपील, जो उसी के खिलाफ की गई थी,

अंततः इस न्यायालय द्वारा उड़ीसा राज्य और अन्य में निर्णय लिया गया। बलराम

साहू और अन्य 1 1. फैसला 29.10.2002 पर दिया गया था। से

उक्त निर्णय के अवलोकन से हम पाते हैं कि इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। यही बात है।

इस अदालत ने कहा:

" 14. ऊपर बताए गए सभी कारणों से, अपीलों की अनुमति दी जाती है और

उच्च न्यायालय के आदेशों को वेतन के बराबर के रूप में अलग रखा जाता है नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों को देने का आदेश दिया गया है।

जिन्हें वे तब तक पात्र या हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे नियमित नहीं हो जाते और प्रतिष्ठान के स्थायी सदस्यों के रूप में लिया गया। के लिए

ऐसी स्थायी स्थिति/नियमितीकरण से पहले की अवधि, वे

केवल न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान किए जाने का हकदार हो

निर्धारित या अधिसूचित, यदि यह उनके भुगतान से अधिक है

जैसमेर सिंह मामले में इस अदालत के आदेश के अनुसार [(1996) 11 एस. सी. सी.

77 : 1997 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 210]। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(जोर दिया गया)

62. इस प्रकार, निर्णय, जहां तक यह निर्देश से संबंधित है

रिट याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को नियमित करना, अंतिम हो गया

29.10.2002 .

63. उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांकित 28.10.1992 था। इस प्रकार,

इसलिए हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि आवेदक सदस्य थे।

1989 के ओ. जे. सी. सं. 2420 में रिट याचिकाकर्ता संघ का, जो बन गया उच्च न्यायालय के फैसले के तहत हकदार जिसकी पुष्टि की गई थी

यह न्यायालय नियमितीकरण के निर्देश के संबंध में बशर्ते कि उनके पास था

28.10.1992 पर पांच साल की अवधि के लिए लगातार सेवा की, अर्थात, उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि।

64. अपीलार्थियों के विद्वान वकील के अनुसार, वास्तव में, ए

अदालत के आदेश के अनुसार नियमितीकरण को प्रभावी बनाने के लिए योजना बनाई गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका मामला यह है कि अपीलकर्ताओं ने वी. एस. एस. भी जारी किया था।

11 1 1 (2003) 1 एससीसी 250 [2019] 12 एस. सी. आर.

65. ओ. जे. सी. No.2420 में उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार

1989 के रिट याचिकाकर्ता संघ के वे सदस्य जिन्होंने 28.10.1992 (निर्णय की तारीख) तक लगातार पांच साल की अवधि तक सेवा की, वे नियमितीकरण के हकदार थे जैसा कि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था।

27.10.1987 पर या उससे पहले। वास्तव में, आवेदकों के बयान को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि एडब्ल्यू1 ने 1988 से काम करने का दावा किया है। इसका मतलब है कि ए. डब्ल्यू. 1 स्पष्ट रूप से वह नहीं था जिसे उच्च न्यायालय द्वारा नियमितीकरण के निर्देश द्वारा कवर किया गया था क्योंकि वह 03.06.1988 से काम कर रहा था। वह केवल 02.06.1993 तक ही पाँच साल पूरे कर पाएगा। हालांकि, इसमें आवेदन में, 1991 के ओ. जे. सी. No.1527 का संदर्भ है, अपने बयान में, वह केवल 1989 के ओ. जे. सी. No.2420 का उल्लेख करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां तक ए. डब्ल्यू. 2 से ए. डब्ल्यू. 4 तक, दी गई तारीखों को देखते हुए, जो हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, अगर उन्होंने तारीखों से लगातार काम किया होता, तो वे नियमितीकरण के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के दायरे में आते। हम उस वी. एस. एस. पर विचार कर रहे हैं जिसे इस न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पेश किया गया था। इसका मतलब यह है कि जब उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत एक अधिकार हासिल कर लिया था, डेमोक्लिस की तलवार ने उन्हें अनिश्चितता के रूप में लटका दिया क्योंकि उनके पक्ष में निर्देश की या तो पुष्टि की जा सकती थी या इस न्यायालय द्वारा पलट दिया जा सकता था।

66. दूसरे शब्दों में, उनके पक्ष में दिशा अंतिम नहीं थी। हमने यह केवल इस बात को उजागर करने के लिए कहा है कि अगर वी. एस. एस. जारी किया गया था

और यह पर्याप्त रूप से आकर्षक पाया गया, इसका लाभ उठाना उनके लिए अप्राकृतिक या उनके लिए अनुचित नहीं होगा। इस संबंध में, अपीलकर्ताओं ने हमारे सामने यह अनुमान लगाया है कि 281 एन. एम. आर. में से और योजना का विकल्प चुनने वाले आकस्मिक खलासियों, निगम ने 271 श्रमिकों के लिए आवेदन स्वीकार कर लिए। यह केवल 90 आवेदक हैं, यह बताया गया है, जिन्होंने एक सोमरसॉल्ट किया है और उनके द्वारा किए गए आवेदनों को वापस लेने की मांग की है।

67. अधिनियम की धारा 33ए के तहत आवेदन अनुग्रह राशि प्राप्त करने की तारीख से कई महीनों के बाद दायर किया गया था। यह है।

अपीलार्थियों का यह भी मामला कि योजना के प्रचलन से पहले श्रमिक संघ के अध्यक्ष की ओर से एक पत्र था, जिसमें जी. एम. के लिए वी. आर. एस. के लिए राशि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओ. आर. आई. एस. एस. ए. बनाम.

श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

एन. एम. आर. कार्यकर्ता। प्रबंधन और संघ के प्रतिनिधियों के बीच 20.05.2000 पर आयोजित चर्चा के कार्यवृत्त हैं। कार्यवृत्त से संकेत मिलता है कि वी. एस. एस. से संबंधित मुद्दा, जिसे चर्चा के लिए लिया गया था, था-"(1) एन. एम. आर. कर्मचारियों के लिए वी. एस. एस. की बढ़ी हुई राशि"। 68. यह सच हो सकता है कि अधिसूचना दिनांक 27.04.2000 अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थी। इसलिए आगे की अधिसूचनाएँ दिनांकित 17.06.2000 थीं।

और 28.01.2000। 69. इस बात में कोई विवाद नहीं है कि आवेदकों को रुपये की राशि दी गई है। 1,25,000 / - यह वह राशि है जो

70. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां तक इस पहलू का संबंध है, आवेदक इस बात पर विवाद नहीं करते कि उन्हें भुगतान प्राप्त हो गया है। वास्तव में, वे नहीं करेंगे यह स्थापित करने की स्थिति में हो कि उन्हें भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। वे भुगतान को इस आधार पर अलग कर देते थे कि उन्हें कुछ राशि का भुगतान किया गया था जो उन्हें लगता था कि वे इस आधार पर हकदार थे कि उन्हें नियमित किया जा रहा था। रु. की राशि। 1,25,000 / - साथ ही सभी आवेदकों को अन्य लाभों का भुगतान किया गया। यह राशि वह राशि भी है जिस पर वीएसएस के तहत विचार किया गया था।

71. किसी भी आवेदक के पास ऐसा मामला नहीं है कि आवेदन में उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। वे दिखाई नहीं देते हैं

गवाहों के बारे में एक मामला है सिवाय इसके कि हमने साक्षय में देखा है। यह सच हो सकता है कि 90 में से एक आवेदक ने वापस लेने के लिए एक पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि अन्य 89 आवेदकों ने वापस लेने के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। एक कर्मचारी (प्रथम आवेदक) द्वारा दायर आवेदन में, जिसे हमने निकाला है, वह बताएगा कि उसे धमकी दी गई थी और मजबूर किया गया था और डर के कारण उसे उसकी इच्छा के खिलाफ वीएसएस के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। उनका कभी भी वी. एस. एस. लेने का इरादा नहीं था और उन्हें बताया गया कि उन्हें गंभीर संघर्ष करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका आवेदन दिनांकित 01.06.2000 है, जो उनके आवेदन करने की अगली तारीख है। यह याद रखा जा सकता है कि ए. डब्ल्यू. 1 [2019] 12 एस. सी. आर.

72. जिस तरह से धोखाधड़ी को कायम रखा गया था, धोखाधड़ी की सटीक प्रकृति और व्यक्ति या व्यक्ति जिनके द्वारा धोखाधड़ी को कायम रखा गया था, अभिवचनों में गायब पाए जाते हैं, जैसा कि हमने देखा है। जहाँ तक पहले आवेदक का संबंध है, उसके मामले में पूर्वधारणा उस अपराध से स्पष्ट और स्पष्ट है जो उसने आवेदन में अभिवचन में उस पत्र में अपने मामले की तुलना में किया था, जिसे उसने योजना से वापस लेने की मांग करते हुए लिखा था, 01.06.2000 पर, जिसमें मामला कथित धमकी और जबरदस्ती के इर्द-गिर्द बनाया गया था। यह देखा जा सकता है कि जबरदस्ती एक अन्य तत्व है जो स्वतंत्र सहमति के विरोधी है और अनुबंध अधिनियम की धारा 15 के तहत अलग से निपटा जाता है। "धमकी, जबरदस्ती" अभिव्यक्ति का उपयोग करने के बाद, जब उन्होंने घोषणा की कि डर के कारण, उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ वी. एस. एस. पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था, तो वे कुछ नहीं बोल पाए। उसे धमकी दी गई कि अगर वह आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसे बुरी स्थिति में धकेल दिया जाएगा। इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट, उनके दिनांकित 01.06.2000 पत्र में, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में सबसे हल्की फुसफुसाहट भी है। यह आवेदन दिनांकित 01.06.2000 है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह अगले ही दिन है जब उन्होंने 31.05.2000 पर वीएसएस का दावा करते हुए आवेदन किया था। दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 33 ए के तहत आवेदन बहुत बाद में, यानी 19.04.2001 पर, कई महीनों के बाद दायर किया गया। अभिवचन में, आवेदन के पैराग्राफ-9 में, कि किसके द्वारा धोखाधड़ी की गई

अधिकारियों, अनुरोध नहीं किया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवेदन में शामिल व्यक्ति महाप्रबंधक (विद्युत); प्रबंधक हैं।

(विद्युत); रखरखाव प्रभाग; प्रबंधक (विद्युत), संरक्षण और नियंत्रण प्रभाग; निगम के निदेशक (मानव संसाधन विकास)। यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उनमें से किसने धोखाधड़ी का कथित कार्य किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धोखाधड़ी विरोधी पक्षों या उनके इशारे पर किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। यदि ऐसा है तो इसकी गुहार लगाई जानी चाहिए थी। ऐसी कोई याचिका आने वाली नहीं है। याचिका का सार यह है कि

नियमितीकरण, जिसे हम एकत्र करते हैं, आवेदन के उदार अध्ययन पर, अधिनियम के तहत एक होने के नाते और बहुत अधिक सख्त नहीं होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कुछ कागजों पर और अनुचित प्रभाव दिखाते हुए श्रमिकों के बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर किए गए थे। धोखाधड़ी और अनुचित प्रभाव की दलीलें अलग और अलग हैं। यह ध्यान दिया जाएगा कि जबरदस्ती और धमकी का मामला अभिवचन में दिखाई नहीं देता है।

जी. एम., विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ओरिसा वी. श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

73. मौखिक साक्षय पर आते हुए, ए. डब्ल्यू. 1, जैसा कि हमने देखा है, कहता है कि उसे और अन्य आवेदकों को यह समझने के लिए दिया गया था कि उनकी सेवाएं

इसे नियमित किया जाएगा और वी. एस. एस. प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वह आगे कहते हैं कि उनके और अन्य आवेदकों के हस्ताक्षर अपीलार्थियों द्वारा जबरन यह धारणा देते हुए लिए गए थे कि उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।

नियमित किया जाए। जैसा कि हमने देखा है, बल का कोई मामला नहीं है जिसका उपयोग आवेदन के पैराग्राफ-9 में किया गया है, जो एकमात्र अभिवचन है। 74. ए. डब्ल्यू. 2 को बताते हुए, वह कहेंगे कि अपीलकर्ताओं ने उन्हें यह आभास दिया कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा और पहली बार में, उनके हस्ताक्षर एक खाली कागज पर और बाद में एक प्रपत्र पर लिए गए थे। इसके बाद, उन्हें पता चला कि यह योजना के लिए है और उन्होंने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया (इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि उन्होंने किसके सामने अपनी आपत्ति जताई थी। कोई लिखित दस्तावेज़ आने वाला नहीं है)। वह कहेंगे कि हस्ताक्षर संभागीय स्तर पर प्राप्त किए गए थे जो समान धारणा देते थे। क्रॉस में, वह कहता है कि नौकरी से इनकार करने से पहले उसे वी. एस. एस. के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह आगे कहा गया है कि यह तथ्य नहीं है कि अपीलकर्ताओं द्वारा आवेदकों के हस्ताक्षर जबरन और धोखाधड़ी से नहीं लिए गए थे। ए. डब्ल्यू. 2 का यही कहना है। "धोखाधड़ी से" और "जबरन" के बीच असंगति स्पष्ट है और "जबरन" अस्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता है।

75. एडब्ल्यू 3 में कहा गया है कि उच्च अधिकारियों के उकसावे पर, वीएसएस में उनके हस्ताक्षर जबरन लिए गए थे। इसी तरह सभी आवेदकों के हस्ताक्षर लिए गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह नोटिस को प्रकाशित नहीं किए जाने और न ही इसे श्रमिकों के बीच वितरित किए जाने के बारे में बोलते हैं। यह किसी भी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं हुआ था। क्रॉस में

बदल गया। उनके साक्षय के संदर्भ में, उनका बयान केवल इस प्रभाव के लिए है कि ए. डब्ल्यू. 3 और अन्य आवेदकों के आवेदन को जबरन सुरक्षित कर लिया गया था। यह धोखाधड़ी के मामले के साथ पूरी तरह से असंगत है जिसका अनुरोध किया जाता है और बल का उपयोग करने के लिए कोई अनुरोध नहीं है जैसा कि हमने देखा है। 76. अंतिम गवाह ए. डब्ल्यू. 4 पर आते हुए, वह बताएगा कि उनके हस्ताक्षर एक आवेदन और तीन से चार खाली कागजों पर लिए गए थे।

उन्हें यह समझाया गया कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा। लेकिन प्रतिपरीक्षा में, वह कहेंगे कि कार्यकारी अभियंता और मानव संसाधन ने उन्हें और अन्य लोगों को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया है।

पूर्वसूचना स्पष्ट है और इसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। यह होगा

एक ऐसे मामले के रूप में अर्हता प्राप्त करें जहां अभिवचन मामले की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता है। साक्षय की स्थिति, जो प्रस्तुत की जाती है, मामले को और भी बदतर बना देती है। 77. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्षय के अवलोकन से पता चलेगा कि आवेदकों द्वारा स्थापित मामले को स्थापित करने के बारे में उनका कोई लेना-देना नहीं है। दूसरी ओर, पहले आवेदक द्वारा भेजा गया 01.06.2000 दिनांकित विरोध पत्र आवेदन में किए गए अनुरोध के अनुसार मामले को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। यह उल्लेखनीय है कि पहले आवेदक के अलावा, 89 अन्य आवेदकों में से किसी ने भी वीएसएस के बारे में अपना विरोध दर्ज नहीं कराया है। हालांकि भेजे गए एक पत्र का उल्लेख है

सुलह अधिकारी, इसे अभिलेख पर नहीं लाया गया है।

78. इसके विपरीत, अपीलकर्ताओं ने श्रम न्यायालय के समक्ष कई दस्तावेजी साक्षय प्रस्तुत किए हैं। प्रदर्शनी 'ए' से 'के' का निर्माण किया गया था। इनमें वे आवेदन शामिल थे जिन पर हस्ताक्षर किए गए थे

आवेदक और दो गवाह; स्वयं वी. एस. एस. योजना; दस्तावेज़

वी. एस. एस. योजना के तहत राशि के भुगतान के प्राधिकरण का प्रमाण देते हुए; चर्चा के लिए प्रबंधन के समक्ष मांग का चार्टर 'एफ' प्रदर्शित करता है। बैठक की चर्चा के कार्यवृत्त जो 20.05.2000 पर आयोजित किए गए थे। कार्यवृत्त से संकेत मिलता है कि कुल 343 में से 43 एन. एम. आर. श्रमिकों को नियमित करने पर वी. एस. एस./वी. आर. एस. के बाद एन. एम. आर. श्रमिकों को नियमित करने की योजना के संदर्भ में विचार किया जाना था।

योजना, 300 श्रमिकों के संबंध में लागू की गई है। यह मद संख्या है। 1 . अगला आइटम नं। 2 एन. एम. आर. के लिए वी. एस. एस. की बढ़ी हुई राशि से निपटा गया

कर्मचारी। एक विस्तृत चर्चा के बाद, यह पारस्परिक रूप से निर्णय लिया गया कि यह संभव नहीं था। 79. मद सं। 3 और 4 से पता चलता है कि यह निर्णय लिया गया था कि 43 एन. एम. आर. कर्मचारियों को कौशल और योग्यता, एन. एम. आर. श्रमिकों के नियमितीकरण के मामले में वरिष्ठता के आधार पर नियमित किया जाएगा।

80. यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाकर्ता संघ के सभी कर्मचारियों को निर्देश देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन मामलों को सिविल अपील में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और जिस तारीख को वी. एस. एस. योजना शुरू की गई थी और नियमितीकरण योजना भी लागू की गई थी, उस तारीख तक इस न्यायालय ने अभी तक अपना निर्णय नहीं दिया था। नियमितीकरण के निर्देश को कायम रखते हुए, इस न्यायालय का निर्णय केवल वर्ष 2002 में दिया गया था। 81. सामग्री को ध्यान

में रखते हुए, हम सोचेंगे कि आवेदक दलील देने और साबित करने में विफल रहे हैं, और जी. एम., विद्युत रंगाली हाइड्रो विद्युत परियोजना, ORISSA v.

श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

यह बिना किसी सबूत का मामला होने के कारण, पुरस्कार कमजोर हो गया और इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता था। कम से कम, श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष, जिसका प्रभाव यह है कि यह आवेदकों की पसंद नहीं थी और शिकायतकर्ताओं पर राशि का दबाव डाला गया था।

रोजगार से इनकार करना, कानून और तथ्यों दोनों में पूरी तरह से असमर्थनीय है। यह निष्कर्ष कि शिकायतकर्ताओं की ओर से वी. एस. एस. की शुरुआत के लिए कोई मांग नहीं की गई थी, पूरी तरह से अप्रासंगिक है, क्योंकि एक नियोक्ता के रूप में, यह निश्चित रूप से ऐसी नीति तैयार करने के लिए खुला था जो निगम के सर्वोत्तम हित में थी। योजना की वैधता इस बात पर निर्भर नहीं करती थी कि योजना की उत्पत्ति श्रमिकों की मांग में हुई है। यह निष्कर्ष कि योजना या सिफारिश के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था कर्मचारियों की संख्या को कम करना पूरी तरह से अप्रासंगिक था। यह वास्तव में इस योजना का प्रस्ताव किया जा रहा है और इसे कहीं और भी लागू किया जा रहा है, जिस पर श्रम न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए था।

82. हमने देखा कि आवेदन के पैराग्राफ-9 में कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराने के बारे में कहने के बाद बहाना बनाया गया था।

नियमितीकरण और नियमितीकरण के अनुचित प्रभाव को दर्शाते हुए कि चूंकि परियोजनाएं अस्थायी थीं और उन्हें निगम में नियमित संवर्ग में नियमित किया जाना है, पुरानी नौकरी समाप्त हो जाएगी और निगम में एक नई नौकरी नए सिरे से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए श्रमिकों ने आवेदन के निहितार्थ को समझे बिना ऐसे आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं। साक्षय से जिसमें ए. डब्ल्यू. 1 की गवाही शामिल है

ए. डब्ल्यू. 4 के लिए, जहाँ तक इस पहलू का संबंध है, कोई सबूत नहीं है। यह सच है कि अपीलार्थियों के जवाब में, पैराग्राफ 8 में यह अनुरोध किया गया है कि नोटिस बोर्ड पर एक योजना प्रदर्शित की गई है और इसे सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है। हालाँकि, अपीलार्थियों के गवाह ने साक्षय में कहा है कि वी. एस. एस. किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं हुआ था। यह कहा गया है कि यह आम जनता की जानकारी के लिए किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं होता है। उनका यह भी कहना है कि इसे राजपत्र में सरकार या निगम द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। अपीलार्थियों के लिए दूसरे गवाह में यह भी कहा गया है कि कार्यालय सूचना बोर्ड पर कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया था। यह अंग्रेजी में बनाया गया था और एन. एम. आर. अंग्रेजी से परिचित नहीं थे। उड़िया में कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ था। हमने निस्संदेह ए. डब्ल्यू. 1 से ए. डब्ल्यू. 4 के बयान पर भी ध्यान दिया है जो गैर-प्रकाशन के मामले को पेश करता प्रतीत होता है। योजना। इस संबंध में, हमें निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए:

1. आवेदक स्वयं 1989 की पूर्ववर्ती रिट याचिका ओ. जे. सी. No.2420 में उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपनी बात रखते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसमें याचिकाकर्ता रेंगली बिजली परियोजना श्रमिक संघ था।

2. जाहिरा तौर पर, आवेदकों ने उक्त के सदस्य होने का दावा किया

संघ। ए. डब्ल्यू. 1, वास्तव में, अपने बयान में, 1989 के ओ. जे. सी. संख्या 2420 में पारित आदेश का भी उल्लेख करता है और यह कि अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं किया और इस न्यायालय में अपील लंबित है। इसलिए, आवेदकों को संघ के सदस्य के रूप में समझा जाना चाहिए। उन्हें इस न्यायालय में दीवानी अपील के लंबित होने के बारे में भी पता होना चाहिए।

83. यह ध्यान देने योग्य है कि इस संबंध में सबूत (ओ. पी. डब्ल्यू. 1) हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वी. एस. एस. के कार्यान्वयन से पहले, चर्चा की गई थी।

यह 10.04.2000 और 15.04.2000 पर हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदर्शनी 'एफ' श्री आर. सी. कुंतिया द्वारा दिनांकित एक पत्र है, जो अपीलार्थी-निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को लिखा गया है कि वह संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। उनके पास कुछ महत्वपूर्ण थे प्रबंधन के साथ चर्चा की जाने वाली समस्याएं। उन्होंने समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक तारीख और समय देने का अनुरोध किया। "चर्चा का एजेंडा" शीर्षक के तहत, वस्तु संख्या 2 "एन. एम. आर. कर्मचारियों के लिए वी. आर. एस. की राशि में वृद्धि" थी। वास्तव में इस दस्तावेज़ को ओ. पी. डब्ल्यू. 1 के माध्यम से बिना किसी आपत्ति के चिह्नित किया गया था। चर्चा 20.05.2000 पर हुई। मद सं। 2 यह एन. एम. आर. श्रमिकों के लिए वी. एस. एस. की मात्रा बढ़ाने के बारे में था। यह.

एक विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि यह संभव नहीं था। इसलिए, एकमात्र संभव निष्कर्ष यह है कि जिस संघ से आवेदक संबंधित थे, वे चाहते थे कि वीएसएस राशि को बढ़ाया जाए। यह पहलू नहीं है श्रम न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार किया गया। यह सच है कि दस्तावेज़ को आपत्ति के साथ 'जी' के रूप में चिह्नित किया गया था। गवाह की प्रतिपरीक्षा में, जिसके माध्यम से 'जी' को चिह्नित किया गया था, ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि ऐसी चर्चा नहीं हुई थी या चर्चा वी. एस. एस. के तहत बढ़े हुए भुगतान से संबंधित नहीं थी। लेकिन यह सच है कि ओ. पी. डब्ल्यू. 1 स्वीकार करता है कि प्रदर्शनी 'जी' में दोनों पदाधिकारी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, हालांकि उनके नाम दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि, कार्यान्वयन से पहले होने वाली चर्चा के बारे में कोई प्रतिपरीक्षा नहीं है। इसलिए, यह किसी भी तरह से यह दर्शाता है कि आवेदक, जो संघ के सदस्य थे, वीएसएस के बारे में पूरी तरह से जानते थे। उनके लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि उन्हें उनके अपने संघ के नेताओं द्वारा गुमराह या धोखा दिया गया था। पुरस्कार के अवलोकन से पता चलता है कि यह कहने के अलावा कि अपीलार्थियों की ओर से 'ए' से 'के' को चिह्नित किया गया था और जी. एम. की ओर से '1' से '4' को चिह्नित किया गया था।

श्री गिरिधारी साहू [के. एम. जोसेफ, जे.]

संभावना। यह आश्चर्य की बात है कि श्रम न्यायालय को पहले आवेदक द्वारा दिनांकित 01.06.2000 द्वारा लिखे गए पत्र में यह पता लगाने के लिए सांत्वना मिलनी चाहिए कि उसने या तो दबाव में या गलत धारणा के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। वास्तव में, गलत धारणा की अवधारणा दिनांकित 01.06.2000 पत्र में गायब है (पत्र के लिए पैराग्राफ 17 देखें)। श्रम न्यायालय प्रकट होता है इस तथ्य से भी अनजान रहना कि ऐसा केवल एक ही पत्र है। इसे अंकित मूल्य पर लेते हुए भी, अन्य 89 आवेदकों में से किसी ने भी कोई पत्र नहीं लिखा है। श्रम न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि योजना के तहत आवेदकों को राशि का लाभ दिया गया था। चेक के माध्यम से राशि उनके खातों में जमा हो गई। लाभ प्राप्त करने के कई महीनों के बाद ही आवेदन स्थानांतरित किया जाता है।

85. इसलिए, हमारा स्पष्ट विचार है कि श्रम न्यायालय के समक्ष धारा 33ए को धारा के साथ पढ़ने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था

33 अधिनियम से। रिट ऑफ सर्टिओरारी के मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय यह भी ध्यान में रखता है कि यह स्वयंसिद्ध नहीं है, या कि अवैधता के निष्कर्ष पर,

अदालत हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है। अदालत तब भी अपने विवेक का प्रयोग कर सकती है और अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार कर सकती है जब तक कि स्पष्ट अन्याय न हो। इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखते हुए, हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि अपीलकर्ताओं ने स्पष्ट अन्याय का मामला बनाया है यदि पुरस्कार को खड़ा होने दिया जाता है। एक सार्वजनिक क्षेत्र के निगम द्वारा अपने कार्यबल को कम करने के लिए बड़ी राशि खर्च की गई थी। श्रमिकों ने स्वेच्छा से हमारी खोज पर, शर्तों को स्वीकार करते हुए

योजना के तहत, लाभ प्राप्त करते हुए, और अलग हो गए। पुरस्कार को लागू करने का मतलब श्रमिकों की बहाली होगी और वह भी 70 प्रतिशत वेतन के साथ, जब इसके लिए कोई वारंट नहीं था।

86. केवल एक पहलू बचा है। उच्च न्यायालय में अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 28 आवेदकों ने अपीलार्थियों से प्राप्त राशि जमा की ताकि अधिनियम की धारा 17 बी के तहत आवेदन को आगे बढ़ाया जा सके।

87. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया जाता है। लेबर कंपनी द्वारा पारित पुरस्कार और आवेदकों द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। अपीलार्थी 28 आवेदकों के पास जमा की गई पूरी राशि 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस कर देंगे। भुगतान की तारीख तक जमा की तारीख। इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर संबंधित आवेदकों को उपरोक्त ब्याज के साथ राशि वापस कर दी जाएगी।

88. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एपीएफ

कल्पना के. त्रिपाठी